केवल शासकीय प्रयोजनार्थ

(प्रतिवेदन क्रमांक–450)

समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना ''डग'' जिला झालावाड़ का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - xi
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 7
द्वितीय	प्रोजेक्ट प्रगति विवरण	8 – 19
तृतीय	सर्वेक्षण परिणाम	20 – 43
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	44 – 48
	परिशिष्ट– अ एवं ब	49 – 50

———

उद्‌बोधन

जिला झालावाड़ का डग क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी एवं पठारी होने से वर्षा का पानी बहकर निकल जाता है तथा भूमिगत पानी की भी समस्या है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों की मुख्य आजीविका कृषि को उन्नत करने के लिए सिंचाई के साधनों को विकसित करने पर ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार किया जाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए. झालावाड़ के माध्यम से **''समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना, डग, जिला–झालावाड़''** मई,2001 में स्वीकृत की गयी। योजनान्तर्गत 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की गयी। परियोजना का निर्माण कार्य सद्‌गुरू नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा अप्रेल,2003 में, राशि 602.17 लाख रूपये व्यय कर, सम्पादित किया गया।

इस परियोजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि झालावाड़ जिला के डग क्षेत्र में सद्‌गुरू संस्था द्वारा समयबद्ध तरीके से योजना के निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने का कार्य किया गया है। परियोजना संचालन के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, रबी फसल का प्रादुर्भाव एवं फसल चक्र में बदलाव, उत्पादन वृद्धि, कृषकों में सहकारिता आधारित खेती का विकास तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में परियोजना के प्रभावी संचालन हेतु व्यावहारिक सुझाव भी अंकित किये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन पाठकगणों एवं कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी साबित होगा।

तिथि : 25 जनवरी,2011
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए. झालावाड़ के माध्यम से **''समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना, डग, जिला–झालावाड़''** का क्रियान्वयन हेतु एन.एम. सद्गुरू जल एवं विकास फाउण्डेशन दाहौद (मध्यप्रदेश) नामक स्वैच्छिक संगठन द्वारा यह योजना मई,2001 में आरम्भ की गई। योजनान्तर्गत जिले में कुल 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत की गयी।

इस परियोजना के मूल्यांकन हेतु सभी 15 कार्य चयनित माने गये एवं सभी कार्यों का अध्ययन दल द्वारा अवलोकन किया गया तथा चयनित लाभार्थियों से साक्षात्कार कर निर्धारित अनुसूचियों में सूचना एकत्र की गयी। इसके साथ ही कार्यकारी संस्था से रिकार्ड सूचना तथा विमर्श कर एकत्रित सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है। परियोजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि कार्यकारी संस्था द्वारा समयबद्ध तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण किया गया है। परियोजना का समय पर कार्य पूर्ण होने से कृषक वर्ग समय पर लाभान्वित हुआ है तथा परियोजना वरदान साबित हुई है। कृषकों में सहकारी भाव से कृषि करने के प्रयोग में सद्गुरू संस्था का योगदान रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी रहेगा।

दिनांक – 27 जनवरी,2011
स्थान – जयपुर

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव
(मूल्यांकन)

''समुदाय प्रबंधित जल स्त्रोत विकास परियोजना डग''
जिला झालावाड़ का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना :

जिला झालावाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है तथा मालवा पट्टी से घिरा हुआ है। जिला 23^0 45' 20'' एवं 24^0 52' 17'' उत्तरी अक्षांतर तथा 75^0 27' 35'' एवं 76^0 56' 48'' पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। जिले के अधिकांश हिस्से पर मालवा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जिला मुकुंदरा पर्वतमालाओं से आवृत है। अधिकांश हिस्सा पहाड़ी, पठारी है, जीवनयापन के साधन मुख्यतः कृषि एवं मवेशी पालन रहा है, जीवन स्तर प्रायः कमजोर रहा है। पूर्व में सिंचाई के मुख्य साधन कुए ही रहे हैं, जो बहुत कम थे। सिंचाई साधनों को विकसित करने से ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना जिले की आवश्यकता हैं।

II डग :

डग क्षेत्र अधिकांश पहाड़ी और पठारी है। मध्यप्रदेश की मंदसौर तहसील से घिरा हुआ है एवं क्षेत्र की मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर है। जिले की तुलना में आनुपातिक रूप से सिंचाई साधन कम हैं। तुलनात्मक दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक पिछड़ा व गरीब रहा है। यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न रहा है। लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। 8.12 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है, जो कि अन्य जिलों के सिंचित क्षेत्र से काफी कम है। अतः जल संरक्षण की क्षेत्र को अति आवश्यकता है। क्षेत्र में शराब एवं अफीम सेवन का चलन बहुत रहा है। क्षेत्र की जोतें बहुत छोटी हैं, सिंचाई साधन नहीं के बराबर, प्रायः एक खरीफ की फसल जिसमें मक्का मुख्य थी, बोई जाती रही हैं। अतः जीवन निर्वहन के साधन अपर्याप्त होने से जीवन स्तर बहुत कमजोर रहा है। यह क्षेत्र नागर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है।

III परियोजना की पृष्ठभूमि :

''जल'' कृषि विकास का एक मुख्य एवं मूलतम आदान है, विशेषकर सूखा एवं अर्द्ध सूखाग्रस्त इलाकों में। इसी के मद्देनजर सिंचाई साधनों की महत्ता बढ़ जाती है, इसी के संदर्भ में ''स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' में विशेष स्कीम के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के आर्थिक विकास के लिए यह परियोजना केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत की गयी है। इसमें केन्द्र व राज्य का हिस्सा 75:25 का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा डीआरडीए झालावाड़ के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सद्गुरू फाउण्डेशन संस्था को अधिकृत किया गया। कार्यकारी संस्था जो एक गैर सरकारी संगठन है का पूरा नाम एन.एम. सद्गुरू जल एवं विकास फाउण्डेशन (N.M. Sadguru Water & Developments Foundation) है, जिसे प्रायः ''सद्गुरू'' के नाम से जाना एवं व्यवहृत किया जाता है।

IV योजना का स्वरूप :

इस योजना में कुल 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें बनाना प्रस्तावित किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

प्रस्तावित संरचनाएँ

(लागत रूपये लाखों में)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लिफ्ट सिंचाई परियोजना (लागत)	चैकडेम (लागत)
1	पड़ासली	25.00	50.00
2	सींधला	25.00	35.00
3	अरनिया	30.00	55.00
4	उन्हेल	30.00	50.00
5	निशालखेड़ी	–	52.00
6	करमाखेड़ी	–	50.00
7	थूरिया	–	45.00
8	चौमहला	–	40.00
9	भारका	30.00	–
10	खेजड़िया	30.00	–
11	देवभादला	30.00	–
	कुल अनुमानित लागत :	**200.00**	**377.00**

इस परियोजना में कुल 15 संरचनाओं में 7 लिफ्ट योजनायें एवं 8 चैकडेम बनाना प्रस्तावित किया गया, जिनमें से चार गांवों में चैकडेम एवं लिफ्ट योजना, चार गांवों में चैकडेम तथा अन्य तीन गांवों में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ बनवाना प्रस्तावित थी। इन योजनाओं से 5060 हैक्टेयर फसलीय क्षेत्रफल में सिंचाई सम्भव होना बताया गया है। जिससे 4216 परिवारों में 25296 व्यक्ति लाभान्वित होने की संभावना आंकलित की गयी है।

V **परियोजना कार्यकाल** :

यह प्रोजेक्ट मई, 2001 में प्रारम्भ किया गया एवं कार्य अप्रेल,2003 तक पूर्ण किया गया तथा जनवरी,2004 तक राशि व्यय की गयी। इस प्रकार परियोजना का कार्य प्रायः जनवरी,2004 में पूर्ण हो चुका था।

VI **परियोजना लागत** :

इस सम्पूर्ण परियोजना पर प्रस्तावित लागत रूपये 626.78 लाख व्यय होने का अनुमान किया गया जिनके विरूद्ध 602.17 लाख रूपये व्यय किये गये।

VII **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा पर प्रमुख शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस योजना का अध्ययन राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा सम्पादित किया गया।

VIII **मूल्यांकन के उद्देश्य** :

इस योजना के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

1. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना। (भौतिक प्रगति निर्धारित कार्य हुए या नहीं)
2. सृजित कार्यों, सम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आकलन करना।
3. योजना क्रियान्विति से सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि, फसलीय चक्र तथा कृषकों के जीवन स्तर में हुए प्रभाव का आकलन।
4. प्रोजेक्ट क्रियान्विति में अनुभूत कठिनाइयाँ एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव।

IX **न्यादर्श चयन** :

परियोजना के सभी 15 कार्य चयनित माने गये एवं सभी कार्यों का अवलोकन किया जाकर कार्य/अवलोकन अनुसूची भरी गयी।

प्रत्येक कार्य से 10 लाभार्थियों का चयन करते हुए परियोजना के मूल्यांकन हेतु सूची प्राप्त की गयी, इस सूची में से 10 लाभार्थियों का चयन सामान्य न्यादर्श पद्धत्ति/मौके पर उपलब्धता के आधार पर किया गया। लाभार्थी चयन में 5 बी.पी.एल. (एस.सी./एस.टी.) एवं 5 अन्य का चयन किया गया। इस प्रकार मौके पर उपलब्धता के अनुसार 13 कार्यो से 130 लाभार्थी एवं पारापीपली–I में 3 एवं पारापीपली–II में 4 लाभार्थी होने के कारण कुल 137 लाभार्थियों से साक्षात्कार किया गया।

X **सन्दर्भ अवधि** :

अध्ययन की सन्दर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 रखी गई। प्रलेख अनुसूची में इन्हीं वर्षों की सूचना प्राप्त की गई। शेष अनुसूचियों में विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथि अप्रेल,2010 तक अंकित किये गये।

XI **योजना की प्रगति :**

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **"समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना डग" जिला झालावाड़** का निर्धारित कार्य एन.एम. सतगुरू फाउण्डेशन, दाहौद (मध्य प्रदेश) नाम स्वैच्छिक संस्था द्वारा करवाया गया। योजना का मॉनिटरिंग कार्य ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यालय जयपुर एवं सी.ई.ओ. झालावाड़ द्वारा किया गया हैं। परियोजनान्तर्गत झालावाड़ जिले के 11 गाँवों मे 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई/जलोत्थान सिंचाई परियोजनान्तर्गत 15 कार्य स्वीकृत किये गये।

XII **अध्ययन के परिणाम :**

(1) **कार्य पूर्णता से सिंचित क्षेत्रफल की स्थिति :**

परियोजनान्तर्गत कार्य पूर्ण होने से 12(80.00 प्रतिशत) कार्यो का लाभ आगामी रबी 2002 में प्रारम्भ हो गया, 2(13.33 प्रतिशत) कार्यो से लाभ 2003 एवं 1(6.67 प्रतिशत) का लाभ वर्ष 2004 से प्रारम्भ हो गया। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य लगभग निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना एवं लाभ प्रारम्भ होना परियोजना की सफलता का द्योतक है।

निर्मित चैकडेम द्वारा 465 हैक्टर भूमि में सिंचाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। चैकडेम के निर्माण के पश्चात् प्रथम वर्ष में 371(79.78 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष में 382(82.15 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में 413(88.82 प्रतिशत) हैक्टर भूमि में सिंचाई की गई। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है।

(2) **फसल चक्र की स्थिति :**

चैकडेम एवं लिफ्ट परियोजना से मिलने वाले लाभों के सम्बन्ध में फसल चक्र की स्थिति ज्ञात करने हेतु प्रोजेक्ट के पूर्व खरीफ में मक्का एवं ज्वार बोया जाता था तथा रबी के प्रायः कोई फसल नहीं होती थी। परियोजना प्रारम्भ होने के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में खरीफ में मक्का, सोयाबीन, कुछ भागों में उड़द एवं मूंग बोना आरम्भ कर दिया गया तथा रबी में गेंहूं, धनिया, मेथी, सरसों एवं चना बोया जाने लगा तथा जायद रबी मौसम में रजका एवं हरा चारा बोया जाने लगा। इस प्रकार परियोजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीफ के मौसम से रबी एवं जायद रबी मौसम में भी फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार परियोजना से 11 गांवों में फसलों का विस्तार होना पाया गया एवं फसल चक्रों में अधिक फसलों को बोने का लाभ मिला।

(3) उत्पादकता की स्थिति :

परियोजना आरम्भ करने के पूर्व चैकडेम निर्मित 8 गांवों में औसत उत्पादकता प्रति हैक्टर में 15.38 क्विन्टल थी जो परियोजना आरम्भ करने के बाद प्रतिवर्ष बढ़कर 38 क्विन्टल अर्थात् 2.5 गुणा उत्पादकता होना पाया गया। इस प्रकार परियोजना आरम्भ करने के पश्चात् उत्पादकता में वृद्धि होना परियोजना की सफलता का द्योतक है।

(4) फसलवार सृजित मानव दिवस पर प्रभाव :

परियोजना आरम्भ करने के पश्चात् चैकडेम क्षेत्र में रबी मे मानव दिवसों की संख्या शून्य से बढ़कर प्रति परिवार प्रथम वर्ष में 93, द्वितीय वर्ष में 99 एवं तृतीय वर्ष में 103 हो गई। इसी प्रकार खरीफ में सृजित मानव दिवस 57 से बढ़कर प्रथम वर्ष में 73, द्वितीय वर्ष में 78 एवं तृतीय वर्ष में 75 हो गये। इस प्रकार परियोजना आरम्भ होने से रबी एवं खरीफ दोनों फसल चक्रों में मानव दिवसों द्वारा अधिक कार्यो का सृजन हुआ है।

लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना के प्रारम्भ होने के पूर्व रबी में सृजित मानव दिवसों की संख्या प्रति परिवार शून्य पाई गई एवं खरीफ में 7 गांवों में औसत प्रति परिवार मानव दिवसों द्वारा कार्य का सृजन होना पाया गया। परियोजना आरम्भ किये जाने के पश्चात् रबी में औसतन प्रथम वर्ष में 98, द्वितीय वर्ष मे 104 एवं तृतीय वर्ष में 104 मानव दिवसों द्वारा कार्य सृजन किया गया। इसी प्रकार खरीफ में 7 गांवों में औसतन प्रथम वर्ष 73, द्वितीय वर्ष में 79 एवं तृतीय वर्ष में 78 मानव दिवसों का सृजन होना पाया गया।

(5) कृषि भूमि मूल्य पर प्रभाव :

कृषि भूमि का मूल्य भी चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों ने 50,000 से 60,000 रुपये प्रति बीघा से 1.50 लाख से 2.00 लाख रुपये तक होना बतलाया जो क्षेत्रीय योजनाओं का ही प्रभाव है।

(6) लाभार्थियों के आय सम्बन्धी विवरण :

परियोजना से पूर्व 20,000 रुपये से कम की आय सीमा में 62 लाभार्थी थे जो वर्ष 2006–07 में 14 रह गये अर्थात् 48 (77.42 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में 10 लाभार्थी 20,000 रुपये से कम आय सीमा में रह गये अर्थात् 52 (83.87 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि तथा वर्ष 2008–09 में 2 लाभार्थी ही रह गये अर्थात् 60 (96.77 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई। अतः स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर वर्षों में आय के स्तर में सुधार हुआ है।

(7) **श्रम पलायन बनाम रोजगार :**

चैकडेम क्षेत्र के 67 लाभार्थियों में से 33 (49.25 प्रतिशत) लाभार्थी योजना प्रारम्भ होने के पूर्व रोजगार हेतु पलायन करते थे। जो लाभार्थी क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु जा रहे थे उनमें से 5 (15.15 प्रतिशत) लाभार्थी 30 दिवस, 2 (6.06 प्रतिशत) लाभार्थी 31 से 60 दिवस, 10 (30.30 प्रतिशत) लाभार्थी 61 से 90 दिवस एवं 16 (48.48 प्रतिशत) लाभार्थी 91 दिवस से अधिक क्षेत्र से बाहर जाकर रोजगार के अवसर तलाशते थे। परियोजना संचालित होने के पश्चात् पलायन करने वाले लाभार्थियों कीसंख्या 33 के स्थान पर 5 (15.15 प्रतिशत) रह गई अर्थात् 84.85 प्रतिशत लाभार्थियों का पलायन कम हो गया।

परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् पलायन करने वाले लाभार्थी की संख्या मात्र 52 (37.96 प्रतिशत) के स्थान पर 5 (3.65 प्रतिशत) ही रह गयी एवं उनके द्वारा 30 दिवस के लिए ही पलायन किया जाना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि औसतन प्रति परिवार जहां पहले वर्ष में 60 दिवस रोजगार मिलता था अब यह संख्या 180 दिन हो गई एवं क्षेत्र की श्रम पलायन समस्या नियन्त्रित हुई हैं। लिफ्ट सिंचाई परिवारों में 19 (27.14 प्रतिशत) के स्थान पर वर्तमान में एक भी परिवार पलायन नहीं करता यह सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है।

(8) **लाभार्थियों के रहन–सहन एवं सुख–सुविधाओं की स्थिति पर प्रभाव :**

चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना संचालित होने से लाभार्थियों के रहन–सहन में काफी बदलाव परिलक्षित हुए। लाभार्थियों के पास पक्के मकान, मोटर, साइकिल, मोबाइल फोन, टी.वी., पंखे, पशुधन, घरेलु उपयोग की आवश्यक वस्तुऐं एवं घरों में उपभोग हेतु बिजली का उपभोग भी अधिक मात्रा में पाया गया। इस प्रकार रहन–सहन के स्तर में भी काफी परिवर्तन पाया गया।

(9) **कार्य की गुणवत्ता की स्थिति पर प्रभाव :**

चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई कार्यों की गुणवत्ता में निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी की निर्माण सामग्री को प्रयोग में लिया जाना बतलाया गया। कार्यों की गुणवत्ता अच्छी बतलायी गयी, निर्माण सामग्री का परीक्षण सद्गुरू ''गुजरात इन्जीनियरिंग अनुसंधान परिषद्'' बड़ोदरा जो देश की एक विख्यात संस्था है उनके द्वारा गुणवत्ता पर एवं मजबूती जांचने के लिए क्यूब्स का परीक्षण, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा गया, कटाव का विशेष ध्यान, जल दबाव गुरूत्वाकर्षण के अनुरूप, तकनीकी विशिष्टताओं का कठोरतम अनुसरण, भराव क्षमता इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

XIII प्रबन्धन समिति के गठन की स्थिति :

जलोत्थान सिंचाई योजना को आरम्भ करने के साथ ही प्रबन्धन समितियों का गठन किया जाकर जलोत्थान सिंचाई परियोजनान्तर्गत आने वाली समस्याओं एवं तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण एन.एम.सद्गुरू फाउण्डेशन द्वारा समितियों को रजिस्टर्ड करवाकर अपने निर्देशन में करवाया जाता है जिसके आधार पर सभी समितियाँ अपने कार्य सुचारू रूप से कर पाने में सफल रहती है। प्रबन्धन समिति द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों को पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाता है। सद्गुरू फाउण्डेशन समिति द्वारा दूरभाष पर भी समितियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। समितियों ने उपयुक्त सेवा प्रदाता इलेक्ट्रीशियन आदि से अनुबन्ध कर रखा है जिससे निर्धारित राशि से तुरन्त कार्य हो जाने से सीजन के समय किसानों को लगने वाले समय एवं धन दोनों की बचत होती है। यह तरीका उच्च कोटि का वैज्ञानिक प्रबन्धन सिद्ध हुआ है।

XIV सद्गुरू एवं सरकारी एजेन्सी की स्थिति :

इस परियोजना का कार्य सद्गुरू नामक संस्था द्वारा करवाया गया जिनके द्वारा अल्प अवधि में कार्य पूर्ण हो गया। उत्कृष्ट डिजाइन एवं बरस चलने वाला अत्यधिक मजबूत निर्माण कार्यों में जल रिसाव नहीं पाया गया। सारांश में सद्गुरू द्वारा करवाये गये कार्यों का संस्थागत ढ़ांचा बहुत ही सुदृढ़ पाया गया।

XV प्रबन्धन समिति के सम्मुख आने वाली कठिनाईयों की स्थिति :

प्रबन्धन समिति द्वारा दर्शायी गयी कठिनाईयों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) प्रबन्धन समिति के अनुसार बिजली कम समय के लिए आती है एवं विद्युत बिल की न्यूनतम भुगतान राशि अनावश्यक रूप से अधिक आती है।

(2) प्रबन्धन समितियों ने बतलाया कि कृषि विभाग द्वारा ग्रामवासियों को नई तकनीक की जानकारी नहीं दी जाती है।

(3) प्रबन्धन समिति ने बतलाया कि पारापीपली चैकडेम छोटे हैं।

(4) एक प्रबन्धन समिति ने बतलाया कि गाँव में असिंचित भूमि अधिक हैं। अतः लिफ्ट स्कीम और बनायी जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभाग को प्रयास करना चाहिए।

XVI कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

(1) कार्य स्थल की दुर्गमता :

परियोजनान्तर्गत निर्मित किये गये चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं तक पहुंचने हेतु सड़क/रास्ते नहीं होने से कार्य स्थलों तक सामग्री पहुंचाने, उत्पाद विपणन में कठिनाई होती है। अतः न केवल गांवों तक अधिक डेम एवं लिफ्ट योजनाओं तक सड़क निर्माण अपेक्षित है। अतः विभाग द्वारा राज्य सरकार को इस समस्या को अवगत करवाकर सड़कों को निर्मित करवाने का प्रयास करवाना चाहिए।

(2) प्रतिस्पर्धात्मक मंड़ियों का अभाव :

क्षेत्र में कोई उचित मूल्य देने वाली उपयुक्त अनाज मण्ड़ी नहीं है जहाँ किसान अपनी उपज का उपयुक्त मूल्य प्राप्त कर सके। कृषकों को कृषि उत्पाद एवं सह उत्पाद (दुग्ध, हरा चारा, मावा, फल, सब्जियाँ) आदि को बेचने के लिए बिचौलिए पर निर्भर रहने की विवशता है। क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होने से उसे बेचना पड़ता है स्थानीय व्यापारियों को बेचने से उचित मूल्य नहीं मिलता है। क्षेत्र में कोई सुव्यवस्थित मंड़ी नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि चौमहला में कृषि उपज मंड़ी समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कृषकों को उपज के उचित मूल्य के साथ क्षेत्र के लोगो को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। इस मंड़ी में मध्यप्रदेश की उपज भी आ सकती है जिससे वहाँ के लोग लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

(3) विशेषज्ञ सुविधाओं का अभाव :

सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता पूर्णतः सुनिश्चित हो गयी है परन्तु कृषि विशेषज्ञों की सेवाओं के अभाव में कृषक उपयुक्त आय प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि आज भी किसान कृषि विभाग के सहयोग के अभाव में उन्नत बीज एवं किस्मों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है। सद्गुरू के अधिकारियों ने झालावाड़ के कृषि उप निदेशक से भी आग्रह किया लेकिन कृषि विशेषज्ञों के नहीं आने से कोई लाभ नहीं हुआ। यहीं हाल पशुपालन, सिंचाई एवं राजस्व विभाग का है। यहाँ के सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गाँवों में नहीं आते है।

अतः सुझाव है कि कृषि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान जल की पूर्णताः सुनिश्चित होने के बावजूद भी कृषक अपेक्षित मात्रा में कृषि उत्पादन नहीं ले पा रहे है कृषि विशेषज्ञों की सेवाएँ इन गाँवों में नहीं मिल पा रही हैं। गेहूँ का लोकल बीज ही काम में लिया जा रहा है। इन गाँव वालो को कृषि के उन्नत तरीकों, कृषि अनुसंधानों, उन्नत बीज एवं उन्नत प्रविधियों की जानकारी नहीं

है। अतः विभाग द्वारा सरकारी स्तर पर इन गाँवों में कृषि, पशुपालन एवं बागवानी आदि के विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) **विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत विभाग का गैर जिम्मेदार रवैया :**

कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त होने से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने, सभी साधनों की उपलब्धता अनुकूल होने पर यदि विद्युत की पूर्ति अपर्याप्त रहती है तो सब व्यर्थ हो जाता है रबी और जायद रबी की पूर्ण फसलें लेना सम्भव नहीं हो पाता है। विद्युत विभाग द्वारा अत्यधिक राशि के बिल दे दिये जाने से जल प्रबन्धन समितियों एवं किसानों को अवांच्छित मानसिक तनाव तथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। विद्युत कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते है जिससे श्रम एवं शक्ति व्यय होती हैं।

इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता पूर्णतः सुनिश्चित हो गई है, उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जाये तो क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित है, लेकिन अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति से यह सारी सुनिश्चिततायें असफल सिद्ध हो रही है। अतः विद्युत कम्पनियों को न्यूनतम 12 घंटे की सुचारू विद्युत आपूर्ति पूर्णतः निश्चित करना चाहिए। किसानों को पूर्व विदित होना चाहिए कि बिजली का समय क्या होगा। विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत उपभोग का रीडिंग–बिल राशि सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही लाभार्थी तक पहुँचना चाहिए जिससे लाभार्थी को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न ही लगाने पड़े एवं लाभार्थी अवांछित उत्पीड़न से बच सके। इस सम्बन्ध में सहयोग एवं सेवा परक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

(5) **रखरखाव हेतु बजट का अभाव :**

सद्गुरू के सहयोग से सरकारी राशि का बेहतर उपयोग करते हुए बहुत अच्छी चैकडेम एवं लिफ्ट योजनायें बना दी गई जो अच्छे तरीके से स्थानीय क्षेत्र के लोगों को लाभ दे रही है। प्रायः 8 वर्ष के पश्चात् भी ये जैसे की वैसी ही है, इनमें कहीं कोई क्षति नहीं हुई है। इन परियोजनाओं के नवीनीकरण, रंगरोगन, सर्विस पाईप लाईन, मरम्मत आदि के लिए बजट की जरूरत होती है क्योंकि प्रतिवर्ष चैकडेम का रंगरोगन होना चाहिए। उत्तम दर्जे की विद्युत सेवा प्रदाता कम्पनी से मोटरों एवं अन्य विद्युत एसेसरीज का नियमित परीक्षण एवं सर्विसिंग होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् भारी बाढ़ से चैकडेम को किसी अप्रत्याशित हानि की सम्भावना से बचाने के लिए समुचित आकस्मिक फण्ड होना चाहिए जिसका पूर्णतया अभाव है। इस बारे में सरकारी सोच एवं चिंता का अहसास नहीं हुआ।

यद्यपि चैकडेम एवं लिफ्ट योजनाओं को निर्मित किये 8 वर्ष हो चुके है और इनकी मजबूती से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है फिर भी रंगरोगन, सामाजिक रखरखाव, किसी सम्भावित आकस्मिक हानि के लिए अपेक्षित बजट का प्रावधान जरूरी है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रबन्धन समितियों/सद्गुरू को बजट हस्तान्तरित करना चाहिए जिससे नियमित रखरखाव किया जा सके डैम के गेट पर रंगरोगन किया जा सके। डैम के गेट पर रंगरोगन नहीं होगा तो वे जंग से गल जायेगें। अतः करवाये गये कार्यो के रखरखाव हेतु आवश्यक बजट रखना चाहिए।

(6) **सामाजिक सेवा–सुविधाओं का अभाव :**

इस क्षेत्र में आज भी पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त हैं। अधिकांश लोग झोला छाप तथा कथित बंगाली चिकित्सकों से उपचार करवाते हैं। शालाओं में शिक्षक अपर्याप्त है यहाँ तक की शैक्षणिक सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। सरकारी देखरेख के अभाव में इनकी पर्याप्तता, उपयुक्तता एवं निरंतरता नहीं बन पाती है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि परियोजना क्षेत्र में पंचायती राज सुदृढ़ीकरण में ग्रामों में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सेवा प्रसार कार्यो पर समुचित ध्यान देकर संस्थाओं की स्थापना एवं स्टाफ उपलब्ध करवाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल प्रबन्धन समिति कार्यालय कक्ष बनवाया जाना, जल प्रबन्धन समिति के सदस्यों को उन्नत तरीकों की जानकारी के लिए कृषक भ्रमण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने चाहिए। इसके लिए बजट हस्तांतरित कर प्रबन्धन समितियों/सद्गुरू जैसी संस्था को नोडल एजेन्सी बना दिया जाना चाहिए।

XVII निष्कर्ष :

सद्गुरू संस्था ने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया है तथा योजना के निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने में तत्परता से काम किया है। इस संस्था ने लिफ्ट योजनाओं के डिजाइन प्रतिष्ठित सलाहकारों द्वारा तैयार करवाये है जिसमें भौगोलिक/स्थितियों के अनुरूप सर्विस पाईप लाईन बिछाना, मुख्य चैम्बर, वितरण चैम्बर का निर्माण करना, क्षेत्र के लिए सबसे उच्चतम भूमि बिन्दुओं का चयन करना जिससे जल दबाव गुरूत्वाकर्षण के अनुरूप किया गया। इस प्रकार प्रत्येक कार्यो का क्रियान्वयन से पूर्व वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीके से संयोजित किया गया। सद्गुरू के अधिकारियों ने लाभार्थियों के खेतों में धोरे आदि बनाने में पर्याप्त मार्गदर्शक किया। इस प्रकार इस व्यवस्था से पानी का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग सम्भव होना पाया गया। सद्गुरू की तकनीकी उच्च कार्यक्षमता वाली टीम

द्वारा पारदर्शी कार्य प्रणाली एवं उपयुक्त तरीके अपनाये गये एवं सामग्री में उच्च गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा गया। परियोजना से पूर्व सिंचाई के साधन नहीं के बराबर थे परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् ग्रामवासियों द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। जिससे कृषि भूमि संसाधन के रूप में परिवर्तित हुयी है, कृषक जमीन को किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। सहायक उद्योग धन्धों का विकास हुआ। भुखमरी एवं पलायन से मुक्ति प्राप्त हुई। निर्धन परिवारों की संख्या में कमी हुई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने पीढ़ियों तक के लिए जीवन निर्वाह के साधन बना दिये गये। सद्गुरू संस्था ने प्रोजेक्ट के उत्तरोत्तर परिणाम आते रहने के लिए कृषकों की प्रोजेक्टवार प्रबन्धन समितियाँ बनायी है। इन समितियों द्वारा जल वितरण सुनिश्चित करना, कृषकों से विद्युत उपयोग राशि एकत्र करना व जमा करना, लेखा संधारण तथा बैंक से लेन–देन आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इस प्रकार अवलोकित तथ्यों के आधार पर परियोजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। जो परियोजना की सफलता का द्योतक है एवं भविष्य में इस प्रकार की परियोजना संचालित करने की प्रेरणा देती है। SGSY के तहत राज्य के अन्य जिलों में भी लघु सिंचाई/चैकडेम जैसे कार्य इस संस्था से करवाया जाना उचित होगा।

———

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 **प्रस्तावना :**

1.1.1 जिला झालावाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है तथा मालवा पट्टी से घिरा हुआ है। जिला 23^0 45′ 20′′ एवं 24^0 52′ 17′′ उत्तरी अक्षांतर तथा 75^0 27′ 35′′ एवं 76^0 56′ 48′′ पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है। जिले के अधिकांश हिस्से पर मालवा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 621900 हैक्टेयर अथवा 2289 वर्गमील है। जिले की लम्बाई का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ इसका एक छोर गंगधार तहसील के सेंधला गांव में शिप्रा के तटों को छूता है, तो दूसरा छोर मनोहरथाना तहसील के महाराजपुर गांव तक प्रायः 150 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। जिला मुकुंदरा पर्वतमालाओं से आवृत है। अधिकांश हिस्सा पहाड़ी, पठारी है, जीवनयापन के साधन मुख्यतः कृषि एवं मवेशी पालन रहा है, जीवन स्तर प्रायः कमजोर रहा है। पूर्व में सिंचाई के मुख्य साधन कुए ही रहे हैं, जो बहुत कम थे। सिंचाई साधनों को विकसित करने से ही ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार किया जाना जिले की आवश्यकता हैं।

1.2.0 **डग** :

1.2.1 डग क्षेत्र अधिकांश पहाड़ी और पठारी है। मध्यप्रदेश की मंदसौर तहसील से घिरा हुआ है एवं क्षेत्र की मुख्य आजीविका कृषि पर निर्भर है। जिले की तुलना में आनुपातिक रूप से सिंचाई साधन कम हैं। तुलनात्मक दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक पिछड़ा व गरीब रहा है। यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न रहा है। लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। 8.12 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है, जो कि अन्य जिलों के सिंचित क्षेत्र से काफी कम है। अतः जल संरक्षण की क्षेत्र को अति आवश्यकता है। क्षेत्र में शराब एवं अफीम सेवन का चलन बहुत रहा है। क्षेत्र की जोतें बहुत छोटी हैं, सिंचाई साधन नहीं के बराबर, प्रायः एक खरीफ की फसल जिसमें मक्का मुख्य थी, बोई जाती रही हैं। अतः जीवन निर्वहन के साधन अपर्याप्त होने से जीवन स्तर बहुत कमजोर रहा है। यह क्षेत्र नागर पान की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है।

1.3.0 **परियोजना की पृष्ठभूमि** :

1.3.1 ''जल'' कृषि विकास का एक मुख्य एवं मूलतम आदान है, विशेषकर सूखा एवं अर्द्ध सूखाग्रस्त इलाकों में। राजस्थान की कृषि ''मानसून का जुआ'' (Gamble of Rains) के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता सर्वथा प्रसिद्ध है। इसी के

मद्देनजर सिंचाई साधनों की महत्ता बढ़ जाती है, लेकिन सिंचाई साधनों का निर्माण भारी पूंजीगत निवेश का विषय है, और यह कार्य केवल राज्य के बजट प्रावधानों से पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो सकता है। इसी के संदर्भ में ''स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' में विशेष स्कीम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के आर्थिक विकास के लिए यह परियोजना केन्द्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत की गयी है। इसमें केन्द्र व राज्य का हिस्सा 75:25 का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों को 75 प्रतिशत सहायता दिया जाना प्रस्तावित है तथा आगे चलाकर व्यक्तिगत सहायता को प्रायः बन्द किया जाकर स्वयं सहायता समूहों को ही सशक्त बनाना है। इसमें समूहों में क्षमता विकास, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की योजना एवं चयन, संरचनात्मक ढ़ांचा विकास, तकनीकी प्रशिक्षण एवं साख सुविधा, उत्पादन एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक विपणन सुविधायें उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

1.3.2 ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा डीआरडीए झालावाड़ के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सद्गुरू फाउण्डेशन संस्था को अधिकृत किया गया। कार्यकारी संस्था जो एक गैर सरकारी संगठन है का पूरा नाम एन.एम. सद्गुरू जल एवं विकास फाउण्डेशन (N.M. Sadguru Water & Developments Foundation) है, जिसे प्रायः ''सद्गुरू'' के नाम से जाना एवं व्यवहृत किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः 35 वर्ष पूर्व देश के प्रसिद्ध औद्योगिक घराने ''मफतलाल ग्रुप'' के द्वारा अपने गुरूदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के आर्शीवाद एवं नाम पर की गई थी।

1.3.3 ''सदगुरू'' मुख्यतः जनजातिय क्षेत्रों एवं आदिवासी तथा निर्धन समुदाय के जीविकोपार्जन हेतु भूमि एवं जल विकास के ही कार्य करता है जिसमें चैकडेम एवं जलोत्थान योजनाएँ मूल है, तथा साथ ही जलग्रहण विकास एवं वृक्षारोपण पर भी जोर रहता है। इसका कार्य क्षेत्र गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश है।

1.3.4 डग क्षेत्र बहुत पिछड़ा एवं अविकसित था जहाँ लोगो को दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति के असफल प्रयास करने पड़ते थे। यहां के निवासी जीवित रहने के लिए अपने हालात से लड़ने को मजबूर थे सद्गुरू ने एस.जी.एस.वाई. योजना के माध्यम से चैकडेम एवं सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निमार्ण कर न केवल जीवन निर्वहन अपितु आत्मनिर्भरता का आधार प्रदान किया है।

1.4.0 **योजना का स्वरूप** :

1.4.1 इस योजना में कुल 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें बनाना प्रस्तावित किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

प्रस्तावित संरचनाएँ

(लागत रूपये लाखों में)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लिफ्ट सिंचाई परियोजना (लागत)	चैकडेम (लागत)
1	पड़ासली	25.00	50.00
2	सींधला	25.00	35.00
3	अरनिया	30.00	55.00
4	उन्हेल	30.00	50.00
5	निशालखेड़ी	—	52.00
6	करमाखेड़ी	—	50.00
7	थूरिया	—	45.00
8	चौमहला	—	40.00
9	भारका	30.00	—
10	खेजड़िया	30.00	—
11	देवभादला	30.00	—
	कुल अनुमानित लागत :	**200.00**	**377.00**

1.4.2 इस प्रकार इस परियोजना में कुल 15 संरचनाओं में 7 लिफ्ट योजनायें एवं 8 चैकडेम बनाना प्रस्तावित किया गया, जिनमें से चार गांवों में चैकडेम एवं लिफ्ट योजना, चार गांवों में चैकडेम तथा अन्य तीन गांवों में लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ बनवाना प्रस्तावित थी। इन योजनाओं से 5060 हैक्टेयर फसलीय क्षेत्रफल में सिंचाई सम्भव होना बताया गया है। जिससे 4216 परिवारों में 25296 व्यक्ति लाभान्वित होने की संभावना है। इनमें प्रायः सभी लघु/सीमान्त कृषक एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार होंगे, इनमें बी.पी.एल. परिवारों के 1960 व्यक्ति एवं 237 हैक्टेयर भूमि शामिल है। जिन चार स्थानों पर दोनों प्रकार की योजनायें बनायी गई वहाँ क्षेत्रफल एवं परिवारों का ओवरलेपिंग सम्भव है।

1.5.0 **परियोजना कार्यकाल** :

1.5.1 यह प्रोजेक्ट मई, 2001 में प्रारम्भ किया गया एवं कार्य अप्रेल,2003 तक पूर्ण किया गया तथा जनवरी,2004 तक राशि व्यय की गयी। इस प्रकार परियोजना का कार्य प्रायः जनवरी,2004 में पूर्ण हो चुका था।

1.6.0 **परियोजना लागत** :

1.6.1 इस सम्पूर्ण परियोजना पर प्रस्तावित लागत रूपये 626.78 लाख व्यय होने का अनुमान किया गया जिनके विरूद्ध 602.17 लाख रूपये व्यय किये गये।

1.7.0 **योजना के लक्षित प्रभाव** :

1.7.1 इस योजना के निम्न प्रभाव रेखांकित किये गये :–

1. प्रायः सभी लाभान्वित परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ जायेंगे तथा सभी भूमिधारी परिवारों की वार्षिक आय रूपये 20,000 से अधिक हो सकेगी।

2. सूखा संभाव्यता पर नियंत्रण।

3. श्रम पलायन पर रोक।

4. योजना क्षेत्र में कृषि भूमि की कीमतें कम से कम 10 गुना अधिक हो जायेगी। फलस्वरूप लाभान्वित परिवारों का सामाजिक, आर्थिक स्तर उन्नत होने के साथ–साथ उनकी साख पात्रता में भी वृद्धि होगी।

5. **अन्य प्रभाव** :

(i) शालाओं में छात्रों की उपस्थिति दर में वृद्धि

(ii) जन स्वास्थ्य में सुधार।

(iii) स्वास्थ्य पोषण में वृद्धि।

(iv) निजी आवास एवं आवास निर्माण वृद्धि।

(v) डेयरी गतिविधियों में हरा चारा, पानी की उपलब्धता के कारण आशातीत बढ़ोतरी।

(vi) कृषि वानिकी का विकास।

(vii) बागवानी विकास।

(viii) पर्यावरण विकास।

(ix) आर्थिक दशाओं में सुधार।

(x) सूखाग्रस्तता पर पूर्ण नियंत्रण।

1.8.0 **परियोजना** :

1.8.1 परियोजना का मुख्य उद्धेश्य डग क्षेत्र के गरीब ग्रामीणों को उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करके उनके रहन सहन के स्तर में अपेक्षाकृत अधिकतम अच्छा सुधार लाना है। परियोजना के तहत् 15 कार्यों से 5060 हैक्टेयर में सिंचाई, 4216 परिवारों के 25,296 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

1.9.0 **पश्चात्वर्ती प्रबन्धन** :

1.9.1 परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त इसकी देखरेख एवं संचालन के लिये संबंधित समुदाय के लोगों के द्वारा सहकारी समितियों का गठन कर प्रबन्धन कार्य किया जावेगा। इन प्रबंधन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को एन.एम.सद्गुरू जल विकास फाउन्डेशन द्वारा प्रशिक्षित किया जावेगा।

1.10.0 **योजना की वित्तीय प्रगति** :

1.10.1 इस योजना पर मार्च, 2009 तक कुल रूपये 650.97 लाख व्यय हो चुके थे, जबकि संस्था को कुल रूपये 628.99 लाख ही प्राप्त हुए थे। परियोजना की सभी 7+8 कुल 15 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। कुल 15610 लाभार्थियों को परियोजना का लाभ मिल रहा है जिसमें से 10927 बी.पी.एल. है।

1.11.0 **कार्यकारी संस्था** :

1.11.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के तहत् निर्धारित कार्य एन.एम. सत्गुरू फाउण्डेशन, दाहौद (मध्य प्रदेश) नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा करवाये गये हैं। समय–समय पर योजना का मॉनिटरिंग कार्य ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय जयपुर एवं CEO झालावाड़ द्वारा किया जाता रहा है।

1.12.0 **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

1.12.1 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा पर प्रमुख शासन सचिव महोदय, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार इस योजना का अध्ययन राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा सम्पादित किया गया।

1.13.0 **मूल्यांकन के उद्देश्य** :

1.13.1 इस योजना के मूल्यांकन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

1. वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना। (भौतिक प्रगति निर्धारित कार्य हुए या नहीं)
2. सृजित कार्यों, सम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आकलन करना।
3. योजना क्रियान्विति से सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि, फसलीय चक्र तथा कृषकों के जीवन स्तर में हुए प्रभाव का आंकलन।
4. प्रोजेक्ट क्रियान्विति में अनुभूत कठिनाइयाँ एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव।

1.14.0 **न्यादर्श चयन** :

1.14.1 परियोजना के सभी 15 कार्य चयनित माने गये एवं सभी कार्यों का अवलोकन किया जाकर कार्य/अवलोकन अनुसूची भरी गयी।

1.14.2 प्रत्येक कार्य से 10 लाभार्थियों का चयन करते हुए परियोजना के मूल्यांकन हेतु सूची प्राप्त की गयी, इस सूची में से 10 लाभार्थियों का चयन सामान्य न्यादर्श पद्धत्ति/मौके पर उपलब्धता के आधार पर किया गया। लाभार्थी चयन में 5 बी.पी.एल. (एस.सी./एस.टी.) एवं 5 अन्य का चयन किया गया। इस प्रकार मौके पर उपलब्धता के अनुसार 13 कार्यो से 130 लाभार्थी एवं पारापीपली–I में 3 एवं पारापीपली–II में 4 लाभार्थी होने के कारण कुल 137 लाभार्थियों से साक्षात्कार किया गया।

1.15.0 **अनुसूचियाँ** :

(1) **प्रलेख अनुसूची** :

यह अनुसूची एन.एम.सद्गुरू जल विकास फाउन्डेशन, झालावाड़ द्वारा भरी गई। इस अनुसूची में लिफ्ट ईरिगेशन एवं चैकडेम के कार्यों की प्रगति, आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण, कार्य में नियोजित श्रमिकों की संख्या, कार्य की पूर्णता से सिंचित क्षेत्र पर प्रभाव, फसल चक्र की स्थिति, औसतन उत्पादन, भूमि की दरें एवं नवीन गतिविधियाँ जैसे– डेयरी बूथ सेन्टर, विद्यालय संख्या एवं नामांकन संख्या, उद्यान संख्या, वन पौध संख्या एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संख्या व उनके रजिस्ट्रेशन पर पड़ने वाले प्रभावों सम्बन्धी सूचना एकत्रित की गई।

(2) **कार्य/अवलोकन अनुसूची** :

समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजनान्तर्गत करवाये गये सभी 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट ईरिगेशन सम्बन्धी कार्य का अवलोकन किया जाकर कार्यवार स्वीकृत राशि, व्यय राशि, स्टाफ का विवरण, श्रम नियोजन सम्बन्धी विवरण, कार्य की गुणवत्ता एवं भौतिक स्थिति, कार्य के प्रभाव का विवरण प्राप्त कर कार्य एवं अवलोकन अनुसूची में सूचनाओं को एकत्रित किया गया।

(3) **लाभार्थी अनुसूची** :

परियोजनान्तर्गत निर्मित चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन से लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी (जो मौके पर उपलब्ध थे) से योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता, प्रोजेक्ट पूर्व–पश्चात् की आय, रोजगार, जीवन स्तर, पेयजल एवं सामाजिक स्थिति पर पड़े प्रभाव सम्बन्धी विवरण एकत्रित किया गया।

(4) **सरकारी/गैर सरकारी अनुसूची** :

जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अभियन्ता, प्रधान, सरपंच, समाजसेवी, प्रबुद्ध ग्रामवासी आदि में से जो मौके पर उपलब्ध थे, उनसे अनुसूचियाँ भरकर समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास हेतु निर्मित लिफ्ट ईरिगेशन एवं चैकडेम से रोजगार, कार्यों की भौतिक स्थिति, कार्यों से प्रभाव सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गई।

(5) **प्रबन्धन समिति अनुसूची** :

परियोजना के संचालन बाबत प्रबन्धन समिति अनुसूची में प्रबन्धन समिति का गठन, समिति का स्वरूप, समिति के वित्तीय स्त्रोत, समिति के कार्य एवं कार्य में आने वाली कठिनाईयों एवं सुझावों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की गई।

1.16.0 **सन्दर्भ अवधि** :

1.16.1 अध्ययन की सन्दर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 रखी गई। प्रलेख अनुसूची में इन्हीं वर्षों की सूचना प्राप्त की गई। शेष अनुसूचियों में विचार एवं अवलोकित तथ्य सर्वेक्षण तिथि अप्रेल,2010 तक अंकित किये गये।

———

अध्याय – द्वितीय

प्रोजेक्ट प्रगति विवरण

2.1.0 योजना की प्रगति :

2.1.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **"समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना डग" जिला झालावाड़** का निर्धारित कार्य एन.एम. सतगुरू फाउण्डेशन, दाहौद (मध्य प्रदेश) नाम स्वैच्छिक संस्था द्वारा करवाया गया। योजना का मॉनिटरिंग कार्य ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यालय जयपुर एवं सी.ई.ओ. झालावाड़ द्वारा किया गया हैं। परियोजनान्तर्गत झालावाड़ जिले के 11 गाँवों मे 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई/जलोत्थान सिंचाई परियोजनान्तर्गत 15 कार्य स्वीकृत किये गये। परियोजना क्षेत्र में 8 चैकडेम बनाये गये है जिसमें से 4 शिप्रा नदी पर 1 छोटी काली सिंध पर 1 चम्बल नदी पर तथा 2 चम्बल के नाले पर बनाये गये है। शिप्रा नदी पर उन्हैल से पड़ासली तक 4 चैकडेम की श्रृंखला में भराव क्षेत्र 23 किलोमीटर है। कुल 15 कार्यो में से 5 कार्य चम्बल नदी पर 7 कार्य शिप्रा नदी पर, 2 कार्य चम्बल नदी के नालो पर तथा 1 कार्य छोटी काली सिंध पर करवाया गया है। परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो की प्रगति विवरण सद्गुरू संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर निम्नानुसार दर्शाया जा रहा हैं :–

2.2.0 कार्य पूर्णता की अवधि एवं उपयोगिता :

2.2.1 परियोजनान्तर्गत चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कार्य पूर्णता की अवधि एवं उपयोगिता सम्बन्धी विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम व लिफ्ट सिंचाई की प्रगति

क्र.सं.	प्रोजेक्ट	स्वीकृत संख्या	निर्धारित अवधि माह	निर्धारित माह में कार्य पूर्ण	निर्धारित माह के			
					एक माह पूर्व	एक से दो माह बाद	चार माह बाद	एक वर्ष बाद
1.	चैकडेम	8	24	3	2	–	1	2
2.	लिफ्ट सिंचाई	7	24	4	–	3	–	–

प्रोजेक्टवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट–अ पर अवलोकनीय है।

2.2.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन के जिन 15 कार्यों को आरम्भ किया गया था उन सभी कार्यों में से 2(13.33 प्रतिशत) कार्यों को एक माह पूर्व, 7(46.67 प्रतिशत) कार्य निर्धारित माह में अर्थात निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर दिये गये। इस प्रकार 9(60 प्रतिशत) कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर लिये गये थे। बोरखेड़ी के चैकडेम का एक कार्य 4 माह बाद पूर्ण हुआ एवं पारापीपली I, II के 2(13.33 प्रतिशत) कार्य आरम्भ करने के एक वर्ष बाद पूर्ण होना पाया गया। 3(20 प्रतिशत) लिफ्ट सिंचाई कार्य एक से दो माह में पूर्ण हुए जिनमें से उन्हैल का 1(6.67

प्रतिशत) कार्य 1 माह बाद, भारका एवं अरनिया के लिफ्ट ईरिगेशन से सम्बन्धित 2(13.33 प्रतिशत) कार्यों को निर्धारित अवधि के एक से दो माह पश्चात् पूर्ण किये गये। बोरखेड़ी एवं पारापीपली योजनाओं में अधिक समय लगने का कारण यह रहा है कि पूर्व में मूल योजना छोटी काली सिंध नदी पर चौमहला कस्बे के लिए प्रस्तावित थी। सद्गुरू संस्था का मानना था कि इससे मूलतः कृषि के लिए सिंचाई साधन के साथ–साथ कस्बे की पेयजल योजना तथा सुन्दर पिकनिक स्पॉट बन जाये। इस योजना का स्थान चौमहला स्टेशन के निकट छोटी काली सिंध नदी पर था। कार्य स्थल से थोड़ा ऊपर रेल्वे पुलिया थी, जिस कारण रेल्वे अधिकारियों ने स्वीकृति देने से मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से रेल्वे पुल को खतरा था। यद्यपि सद्गुरू फाउण्डेशन ने इस बारे में बहुत प्रयास किये। अतः चौमहला के स्थान पर बोरखेड़ी एवं पारापीपली योजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया। जिससे कार्य पूर्ण करने में एक वर्ष से अधिक समय लगा। परियोजना की निर्धारित अवधि के आगामी चार माह तक 13 (87 प्रतिशत) कार्य पूर्ण होना एक उपलब्धि रही है।

2.2.3 परियोजनान्तर्गत कार्य पूर्ण होने से 12(80.00 प्रतिशत) कार्यो का लाभ आगामी रबी 2002 में प्रारम्भ हो गया, 2(13.33 प्रतिशत) कार्यो से लाभ 2003 एवं 1(6.67 प्रतिशत) का लाभ वर्ष 2004 से प्रारम्भ हो गया। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य लगभग निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना एवं लाभ प्रारम्भ होना परियोजना की सफलता का द्योतक है। प्रोजेक्टवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''अ''** पर अवलोकनीय है।

2.3.0 परियोजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति :

2.3.1 ''समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना'' डग सद्गुरू फाउण्डेशन से हुए एम.ओ.यू. के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रोजेक्टवार स्वीकृत/ आवंटित राशि एवं फाउण्डेशन द्वारा व्यय राशि की स्थिति निम्नानुसार प्रदर्शित हैं :–

वित्तीय प्रगति

(लाखों में)

क्र. सं.	**प्रोजेक्ट**	**स्वीकृत संख्या**	**विभाग द्वारा स्वीकृत एवं हस्तांतरित राशि**	**व्यय राशि**
1.	चैकडेम	8	465.99	452.36 (97.08%)
2.	लिफ्ट सिंचाई	7	160.79	149.81 (93.17%)
	योग	**15**	**626.78**	**602.17**

2.3.2 तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सद्गुरू फाउण्डेशन ने चैकडेम कार्य हेतु 465.99 लाख रूपये की स्वीकृत राशि के विरूद्ध 452.36(97.08 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किया।

2.3.3 तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि लिफ्ट सिंचाई योजना पर 160.79 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी इसके विरूद्ध 149.81(93.17 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि व्यय की गयी। प्रोजेक्ट वार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''ब''** पर अवलोकनीय हैं।

2.4.0 राशि का समायोजन :

2.4.1 परियोजना का कार्य प्रायः जनवरी,2004 में पूर्ण हो चुका था। समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना डग सद्गुरू फाउण्डेशन से हुए एम.ओ.यू. के आधार पर व्यय राशि एवं राशि के समायोजन की स्थिति निम्न तालिकानुसार प्रदर्शित हैं।

राशि समायोजन विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	प्रोजेक्ट नाम	संख्या	विभाग द्वारा स्वीकृत/आवंटित एवं हस्तांतरित राशि	व्यय राशि	समायोजित राशि
1.	चैकडेम	8	465.99	452.36	338.53
2.	लिफ्ट सिंचाई	7	160.79	149.81	112.35
	योग	15	626.78	602.17	450.88

2.4.2 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन की 15 परियोजनाओं पर प्रस्तावित/आवंटित/स्वीकृत एवं हस्तान्तरित की गई राशि कुल 626.78 लाख रूपये थी तथा सभी परियोजनाओं पर एक समान राशि को आवंटित/हस्तान्तरित किया गया था। कुल आवंटित की गई राशि के विरूद्ध कुल 602.17 लाख रूपये की राशि इन परियोजनाओं पर व्यय की गई थी जो कुल राशि का 96.07 प्रतिशत है। कुल व्यय की गई राशि के विरूद्ध संस्था को 450.88 (74.88 प्रतिशत) राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए अर्थात कुल व्यय राशि में से 74.88 प्रतिशत राजकीय राशि का व्यय के अनुरूप समायोजन कर दिया गया है। अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड झालावाड़ द्वारा जारी किया जाना था। सद्गुरू से विमर्शनुसार उनके प्रयासों से सम्भव नहीं होने पर जिला कलेक्टर झालावाड़ की पहल एवं सत्प्रयासों से राशि समायोजन पूर्ण हो सका जिससे राशि के समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगना पाया गया।

2.4.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल हस्तान्तरित की गई 626.78 लाख रूपये की राशि के विरूद्ध चैकडेम की 8 परियोजना पर 452.36 (72.17 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि को दिनांक 21.10.04 तक व्यय की गई। जो कुल व्यय की गई 602.17 लाख का 75.12 प्रतिशत है इस प्रकार कुल व्यय की गई राशि में से अधिकांश राशि चैकडेम के निर्माण में व्यय की गई है।

2.4.4 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि लिफ्ट ईरिगेशन की 7 परियोजनाओं हेतु कुल आवंटित 626.78 लाख रूपये की राशि के विरूद्ध 149.81 लाख रूपये की राशि व्यय की गई जो व्यय राशि का 23.90 प्रतिशत है एवं कुल व्यय की गई 602.17 लाख रूपये के विरूद्ध 24.88 प्रतिशत है अर्थात परियोजनान्तर्गत लिफ्ट ईरिगेशन पर 25 प्रतिशत से भी कम राशि को व्यय किया गया है।

2.5.0 कार्य पूर्णता से सिंचित क्षेत्रफल पर प्रभाव :

2.5.1 समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोतों के विकास के फलस्वरूप चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन द्वारा सिंचित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

चैकडेम से सिंचित क्षेत्रफल पर प्रभाव

सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टर में)					
क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के लक्ष्यानुसार	प्रथम वर्ष (2004)	द्वितीय वर्ष (2005)	तृतीय वर्ष (2006)
1.	उन्हैल	90	95	102	108
2.	करमाखेड़ी	63	63	61	64
3.	निशालखेड़ी	38	58	62	57
4.	पड़ासली	81	56	55	65
5.	सिधंला	129	40	46	63
6.	बोराखेड़ी	44	45	46	46
7.	पारापीपली–I	10	8	7	7
8.	पारापीपली–II	10	6	3	3
	योग	**465**	**371**	**382**	**413**

2.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि निर्मित चैकडेम द्वारा 465 हैक्टर भूमि में सिंचाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। चैकडेम के निर्माण के पश्चात् प्रथम वर्ष में 371(79.78 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष में 382(82.15 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में 413(88.82 प्रतिशत) हैक्टर भूमि में सिंचाई की गई। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। पारापीपली–I व II में निर्धारित लक्ष्यों से कम उपलब्धि अर्जित हुई है। द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रगति तुलनात्मक रूप से कम हुई है।

लिफ्ट सिंचाई से सिंचित क्षेत्रफल पर प्रभाव

सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टर में)					
क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के लक्ष्यनुसार	प्रथम वर्ष (2004)	द्वितीय वर्ष (2005)	तृतीय वर्ष (2006)
1.	उन्हैल–I	45	42	44	45
2.	पड़ासली–I	36	35	40	41
3.	देवबाड़ला	39	40	40	39
4.	बारखा	52	50	52	55
5.	खेजड़िया	42	42	42	42
6.	माकोड़िया	42	42	40	42
7.	अरनिया	72	72	70	72
	योग	**328**	**323**	**328**	**336**

2.5.3 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा 328 हैक्टर भूमि में सिंचाई करवाये जाने का लक्ष्य रखा गया था परियोजना के आरम्भ होने के पश्चात् प्रथम वर्ष में 323(98.48 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष में 328(100.00 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में 336(102.44 प्रतिशत) हैक्टर भूमि में सिंचाई की गई। इस प्रकार परियोजना को प्रारम्भ करने के पश्चात् निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप व अधिक सिंचित क्षेत्रफल में सिचांई किये जाने से प्रोजेक्ट क्षेत्र में आशातीत सफलता अर्जित हुई है।

2.5.4 तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई में से लिफ्ट सिंचाई के लक्ष्यों को अधिक सफलतपूर्वक प्राप्त किया गया। दोनों परियोजना से कुल 793 हैक्टर भूमि में सिंचाई किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें से प्रथम वर्ष में 694 (87.52 प्रतिशत), द्वितीय वर्ष में 710 (89.53 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में 749 (94.45 प्रतिशत) लक्ष्य प्राप्त किये गये। इस प्रकार परियोजना से लाभ प्राप्त करने अर्थात सिंचित क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है जो योजना से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है।

2.6.0 फसल चक्र की स्थिति :

2.6.1 चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित फसल चक्रों की स्थिति का विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम सम्बन्धी फसल चक्र की स्थिति

क्रोपिंग पैटर्न						
क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व		परियोजना के बाद I, II, III Year		
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	जायद रबी
1.	उन्हैल	मक्का, ज्वार	रबी में पहले प्रायः कोई फसल नहीं होती थी।	मक्का, सोयाबीन, उडद, मूंग	गेंहूँ , धनिया, मेथी, सरसों, चना	रंजका हरा चारा
2.	करमाखेड़ी					
3.	निशालखेड़ी					
4.	पड़ासली					
5.	सिधंला					
6.	बोराखेड़ी					
7.	पारापीपली–I					
8.	पारापीपली–II					

लिफ्ट सिंचाई सम्बन्धी फसल चक्र की स्थिति

क्रोपिंग पैटर्न						
क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व		परियोजना के बाद I, II, III Year		
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	जायद रबी
1.	उन्हैल–I	मक्का, ज्वार	रबी में पहले प्रायः कोई फसल नहीं होती थी।	मक्का, सोयाबीन, उडद, मूंग	गेंहूँ , धनिया, मेथी, सरसों, चना	रजका, हरा चारा
2.	पड़ासली–I					
3.	देवबाड़ला					
4.	बारखा					
5.	खेजड़िया					
6.	माकोड़िया					
7.	अरनिया					

2.6.2 तालिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि चैकडेम एवं लिफ्ट परियोजना से मिलने वाले लाभों के सम्बन्ध में फसल चक्र की स्थिति ज्ञात करने हेतु प्रोजेक्ट के पूर्व खरीफ में मक्का एवं ज्वार बोया जाता था तथा रबी के प्रायः कोई फसल नहीं होती थी। परियोजना प्रारम्भ होने के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में खरीफ में मक्का, सोयाबीन, कुछ भागों में उड़द एवं मूंग बोना आरम्भ कर दिया गया तथा रबी में गेंहूं, धनिया, मेथी, सरसों एवं चना बोया जाने लगा तथा जायद रबी मौसम में रजका एवं हरा चारा बोया जाने लगा। इस प्रकार परियोजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीफ के मौसम से रबी एवं जायद रबी मौसम में भी फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार परियोजना से 11 गांवों में फसलों का विस्तार होना पाया गया एवं फसल चक्रों में अधिक फसलों को बोने का लाभ मिला।

2.7.0 परियोजना से औसत उत्पादकता पर प्रभाव :

2.7.1 चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना के आरम्भ करने से प्रति हैक्टर औसतन उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम की प्रगति
औसत उत्पादकता (प्रति हैक्टर क्विन्टल में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व	परियोजना के पश्चात् (रबी)		
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	उन्हैल	14	42	38	40
2.	करमाखेड़ी	16	38	36	35
3.	निशालखेड़ी	18	40	42	44
4.	पड़ासली	16	38	38	36
5.	सिधंला	15	40	40	42
6.	बोराखेड़ी	16	40	42	39
7.	पारापीपली–I	14	32	28	34
8.	पारापीपली–II	14	32	28	34
	कुल उत्पादकता	**123**	**302**	**292**	**304**
	प्रति हैक्टर औसत उत्पादकता	**(15.38)**	**(37.75)**	**(36.50)**	**(38.00)**

लिफ्ट ईरिगेशन की प्रगति
औसत उत्पादकता (प्रति हैक्टर क्विन्टल में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व	परियोजना के पश्चात् (रबी)		
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1.	उन्हैल–I	14	42	38	40
2.	पड़ासली–I	14	38	38	36
3.	देवबाड़ला	14	40	40	42
4.	बारखा	13	34	35	36
5.	खेजड़िया	18	38	42	41
6.	माकोड़िया	14	32	34	36
7.	अरनिया	16	42	44	44
	कुल उत्पादकता	**103**	**266**	**271**	**275**
	प्रति हैक्टर औसत उत्पादकता	**(14.71)**	**(38.00)**	**(38.71)**	**(39.29)**

2.7.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि परियोजना आरम्भ करने के पूर्व चैकडेम निर्मित 8 गांवों में औसत उत्पादकता प्रति हैक्टर में 15.38 क्विन्टल थी जो परियोजना आरम्भ करने के बाद प्रतिवर्ष बढ़कर 38 क्विन्टल अर्थात् 2.5 गुणा उत्पादकता होना पाया गया। इस प्रकार परियोजना आरम्भ करने के पश्चात् उत्पादकता में वृद्धि होना परियोजना की सफलता का द्योतक है।

2.7.3 लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना जिन 7 गांवों में संचालित की गई उन गांवों में परियोजना पूर्व औसत उत्पादकता प्रति हैक्टर में 14.71 क्विन्टल पाई गई थी। परियोजना प्रारम्भ करने के पश्चात् इन गांवों में औसत उत्पादकता प्रति हैक्टेयर 2.67 गुणा होना पाया गया है। इस प्रकार चैकडेम एवं लिफ्ट इरिगेशन परियोजना से औसतन उत्पादकता प्रति हैक्टर प्रतिवर्ष मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जो परियोजना संचालन की सफलता को इंगित करता है।

2.8.0 परियोजना द्वारा फसलवार सृजित मानव दिवस :

2.8.1 चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना की 15 परियोजनाओं के सृजन करने से रबी एवं खरीफ की फसलों से प्रति परिवार औसतन कार्य दिवसो में वृद्धि को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम परियोजना द्वारा सृजित मानव दिवस

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व		परियोजना के बाद औसत प्रति परिवार सृजित मानव दिवस					
				प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	
		रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1.	उन्हैल	0	60	100	75	110	80	110	80
2.	करमाखेड़ी	0	58	90	70	95	75	100	70
3.	निशालखेड़ी	0	60	95	70	95	75	100	70
4.	पड़ासली	0	59	100	75	105	80	105	75
5.	सिधंला	0	60	95	70	100	75	100	80
6.	बोराखेड़ी	0	56	90	75	95	80	105	75
7.	पारापीपली–I	0	50	85	75	100	80	100	75
8.	पारापीपली–II	0	50	85	70	95	75	100	75
	योग		**453**	**740**	**580**	**795**	**620**	**820**	**600**
	औसत		**57**	**93**	**73**	**99**	**78**	**103**	**75**

लिफ्ट ईरिगेशन द्वारा सृजित मानव दिवस

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना के पूर्व		परियोजना के बाद औसत प्रति परिवार सृजित मानव दिवस					
				प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	
		रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
1.	उन्हैल–I	0	60	100	75	110	80	110	80
2.	पड़ासली–I	0	59	100	75	105	80	105	75
3.	देवबाड़ला	0	60	95	70	100	75	100	80
4.	बारखा	0	55	100	70	100	85	105	80
5.	खेजड़िया	0	60	95	75	100	80	105	75
6.	माकोड़िया	0	58	100	75	110	80	100	80
7.	अरनिया	0	60	95	70	100	75	105	75
	योग		**412**	**685**	**510**	**725**	**555**	**730**	**545**
	औसत		**59**	**98**	**73**	**104**	**79**	**104**	**78**

2.8.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रारम्भ करने के पूर्व रबी में पैदावार शून्य होने के कारण सृजित मानव दिवसों की संख्या शून्य पाई गई थी अर्थात रबी में इन 11 गांवों में किसी प्रकार की पैदावार नहीं होने से प्रति परिवार कार्य दिवस भी शून्य रहे है एवं रोजगार भी इन गांवों के परिवारों को प्राप्त नहीं था, ऐसी स्थिति में रोजगार हेतु कार्यशील व्यक्ति पलायन करते थे।

2.8.3 परियोजना आरम्भ करने के पश्चात् चैकडेम क्षेत्र में रबी मे मानव दिवसों की संख्या शून्य से बढ़कर प्रति परिवार प्रथम वर्ष में 93, द्वितीय वर्ष में 99 एवं तृतीय वर्ष में 103 हो गई। इसी प्रकार खरीफ में सृजित मानव दिवस 57 से बढ़कर प्रथम वर्ष में 73, द्वितीय वर्ष में 78 एवं तृतीय वर्ष में 75 हो गये। इस प्रकार परियोजना आरम्भ होने से रबी एवं खरीफ दोनों फसल चक्रों में मानव दिवसों द्वारा अधिक कार्यो का सृजन हुआ है। खरीफ में फसल चक्र में परिवर्तन होने से नयी दलहन फसलें प्रारम्भ होने से क्षेत्र में स्वंय के खेतों पर रोजगार उपलब्ध होने से पलायन की स्थिति पर रोक लगी है जो कि प्रोजेक्ट से सकारात्मक परिणाम प्रारम्भ होने का सूचक है।

2.8.4 लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना के प्रारम्भ होने के पूर्व रबी में सृजित मानव दिवसों की संख्या प्रति परिवार शून्य पाई गई एवं खरीफ में 7 गांवों में औसत प्रति परिवार मानव दिवसों द्वारा कार्य का सृजन होना पाया गया। परियोजना आरम्भ किये जाने के पश्चात् रबी में औसतन प्रथम वर्ष में 98, द्वितीय वर्ष मे 104 एवं तृतीय वर्ष में 104 मानव दिवसों द्वारा कार्य सृजन किया गया। इसी प्रकार खरीफ में 7 गांवों में औसतन प्रथम वर्ष 73, द्वितीय वर्ष में 79 एवं तृतीय वर्ष में 78 मानव दिवसों का सृजन होना पाया गया। इस प्रकार परियोजना आरम्भ होने से चैकडेम एवं लिफ्ट इरिगेशन परियोजनाओं द्वारा फसलों का विस्तार होने के साथ औसत प्रति परिवार मानव दिवसों के सृजन में भी वृद्धि होना पाया गया अर्थात प्रति परिवार वार्षिक कार्य दिवसों में भी बढ़ोतरी हुई।

2.9.0 **कृषि भूमि मूल्य पर प्रभाव :**

2.9.1 चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना से कृषि भूमि मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

चैकडेम परियोजना से कृषि भूमि मूल्य का प्रभाव

(प्रति बीघा)

क्र. सं.	गाँव का नाम	कृषि भूमि का मूल्य	
		परियोजना के पूर्व	परियोजना के पश्चात्
1.	उन्हैल	50000 से 60000 रुपये तक	150000 से 200000 रुपये तक
2.	करमाखेड़ी		
3.	निशालखेड़ी		
4.	पड़ासली		
5.	सिधंला		
6.	बोराखेड़ी		
7.	पारापीपली–I		
8.	पारापीपली–II		

लिफ्ट ईरिगेशन से कृषि भूमि मूल्य का प्रभाव

(प्रति बीघा)

क्र. सं.	गाँव का नाम	कृषि भूमि का मूल्य	
		परियोजना के पूर्व	परियोजना के पश्चात्
1.	उन्हैल–I	50000 से 60000 रुपये तक	150000 से 200000 रुपये तक
2.	पड़ासली–I		
3.	देवबाड़ला		
4.	बारखा		
5.	खेजड़िया		
6.	माकोड़िया		
7.	अरनिया		

2.9.2 तालिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि का मूल्य भी चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों ने 50,000 से 60,000 रुपये प्रति बीघा से 1.50 लाख से 2.00 लाख रुपये तक होना बतलाया जो क्षेत्रीय योजनाओं का ही प्रभाव है।

2.10.0 नवीन गतिविधियों पर प्रभावः

2.10.1 लिफ्ट ईरिगेशन एवं चैकडेम परियोजना के संचालन से नवीन गतिविधियाँ डेयरी बूथ, उद्यान संख्या, वन विकास, पौधरोपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना पाया गया। विद्यालय संख्या व नामांकन पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

राजकीय विद्यालय संख्या व नामांकन पर प्रभाव

(संख्या)

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना से पूर्व		परियोजना के पश्चात्					
		स्कूल संख्या	नांमाकन संख्या	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	
				स्कूल संख्या	नांमाकन संख्या	स्कूल संख्या	नांमाकन संख्या	स्कूल संख्या	नांमाकन संख्या
1.	उन्हैल	2	780	2	801	2	815	2	832
2.	करमाखेड़ी	1	46	1	55	1	60	1	66
3.	निशालखेड़ी	1	42	1	48	1	52	1	56
4.	पड़ासली	1	45	1	50	1	58	1	62
5.	सिधंला	1	60	1	70	1	75	1	82
6.	बोरखेड़ी	1	25	1	28	1	32	1	36
7.	पारापीपली	1	105	1	115	1	120	1	128
8.	बारखा	1	60	1	64	1	70	1	76
9.	खेजड़िया	1	105	1	118	1	125	1	132
10.	माकोड़िया	1	105	1	125	1	130	1	136
11.	अरनिया	2	40	2	45	2	50	2	58
	योग	**13**	**1413**	**13**	**1519**	**13**	**1587**	**13**	**1664**

2.10.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना का संचालन 11 गाँव में किया गया इन गाँवों में स्कूलों की संख्या परियोजना प्रारम्भ करने के पूर्व एवं पश्चात् 13 पायी गयी। परियोजना प्रारम्भ होने के पूर्व स्कूल में विधार्थियों का नांमाकन 1413 था परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या प्रथम वर्ष में 7.50 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 12.31 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 17.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई हैं। जिससे स्पष्ट है कि विधार्थियों का नांमाकन प्रतिवर्ष क्रमशः बढ़ा हैं।

2.11.0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में नामांकन की संख्या पर प्रभाव :

2.11.1 चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन परियोजना का संचालन जिन 11 गाँवों में किया गया उनमें से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या पर पड़े प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में नामांकन की संख्या

क्र. सं.	गाँव का नाम	परियोजना से पूर्व		परियोजना के पश्चात्					
		चिकित्सालय संख्या	नांमाकन संख्या	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष	
				चिकित्सालय संख्या	नांमाकन संख्या	चिकित्सालय संख्या	नांमाकन संख्या	चिकित्सालय संख्या	नांमाकन संख्या
1.	उन्हैल	2	8255	2	9408	2	10113	2	10870
2.	पारापीपली	2	5623	2	6439	2	6968	2	7528
	योग	**4**	**13878**	**4**	**15847**	**4**	**17081**	**4**	**18390**
	बढ़ोतरी				**14.19%**		**23.08%**		**32.51%**

2.11.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि परियोजना के संचालित किये जाने वाले 11 गाँवों में से सिर्फ 2 गाँवों में से 4 चिकित्सालय पाये गये परियोजना संचालन के पूर्व नांमाकन 13878 पाया गया। परियोजना को संचालित किये जाने के पश्चात् चिकित्सालय में नांमाकन प्रथम वर्ष में 14.19 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 23.08 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 32.51 प्रतिशत पाया गया इस प्रकार परियोजना के संचालन पश्चात् नांमाकन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होना पाया गया।

2.11.3 उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि झालावाड़ जिले में चैकडेम एवं लिफ्ट ईरिगेशन हेतु करवाये गये कार्यो से गाँव में रहने वाले ग्रामवासियों को योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, जो उनके आर्थिक उत्थान में सहायक हैं।

————

अध्याय – तृतीय

सर्वेक्षण परिणाम

3.1.0 **चयनित न्यादर्श का स्वरूप :**

3.1.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **"समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना डग" जिला झालावाड़** के 11 गाँवों में चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ एन.एम. सद्गुरू जल एवं विकास फाउण्डेशन संस्था द्वारा निर्मित की गई हैं। संस्था द्वारा प्रलेख अनुसूची में सूचनाएं एकत्रित की गई। अध्ययन के न्यादर्श को मद्देनजर रखते हुए ग्रामवासियों से वार्ता कर निर्मित चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई से लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों से सम्पर्क कर 10–10 (जो मौके पर उपलब्ध थे) लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी जानी थी परन्तु पारापीपली–I, II में क्रमशः 1–1 चैकडेम निर्मित किये गये है, गत वर्षो में वर्षा कम होने से उनमें पानी की कमी रहने के कारण पारापीपली–I में 3 एवं पारापीपली–II में 4 लाभार्थी रह जाने के कारण दोनों स्थानों की कुल 7 अनुसूचियाँ ही भरी गई। इस प्रकार मौके पर उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों से सम्पर्क किया जाकर कुल 137 लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गई। इसके अतिरिक्त 2 सरकारी अधिकारी जिनमें पंचायत सचिव एवं 20 गैर–सरकारी उत्तरदाता जिनमें प्रोजेक्ट मैनेजर, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, आपरेटर, प्रबन्धन समिति, सरपंच, वार्ड पंच, सचिव, अध्यक्ष जल प्रबन्धन समिति एवं ग्राम पंच आदि जन–प्रतिनिधियों से भी साक्षात्कार किया गया। इसके साथ ही कार्यों का मौके पर अवलोकन किया जाकर कार्य एवं अवलोकन अनुसूची एवं प्रबन्धन समिति के सदस्यों से वार्ता की जाकर प्रबन्धन समिति अनुसूची में योजना से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्रित की गई। इस प्रकार उपरोक्त रणनीति के अनुसरण में निम्नानुसार अनुसूचियाँ भरी गई :–

प्रलेख अनुसूची	लाभार्थी अनुसूची	सरकारी / गैर–सरकारी अनुसूची	कार्य एवं अवलोकन अनुसूची	प्रबन्धन समिति अनुसूची
1	137	22	15	15

3.1.2 उपरोक्त तालिका अनुसार योजना से प्रभावित व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाकर परियोजना से क्षेत्र में हुए प्रभावों / विकास इत्यादि पक्षों के सम्बन्ध में प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है।

3.2.0 लाभार्थियों का जातिवार विवरण :

3.2.1 चयनित 137 बी.पी.एल. उत्तरदाता लाभार्थियों की जाति वर्ग के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों का जातिवार विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	चयनित उत्तरदाता	चयनित लाभार्थी की जाति		
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य
1.	चैकडेम	67	16	1	50
2.	लिफ्ट सिंचाई	70	6	–	64
	योग	**137**	**22**	**1**	**114**

3.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 137 उत्तरदाताओं में से 22(16.06 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 1(0.73 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति एवं 114(83.21 प्रतिशत) सामान्य वर्ग के थे।

3.3.0 लाभार्थियों का व्यवसायवार विवरण :

3.3.1 चयनित 137 बी.पी.एल. उत्तरदाता लाभार्थियों से उनके व्यवसाय के बारे में प्राप्त जानकारी को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

लाभार्थियों का व्यवसायवार विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जाति वर्ग	संख्या	व्यवसाय		
				कृषि	पशुपालन	अन्य व्यवसाय
I	चैकडेम	1. अनुसूचित जाति	16	16	3	7
		2. अनुसूचित जनजाति	1	1	–	1
		3. अन्य	50	50	10	12
		योग	67	67	13	20
II	लिफ्ट सिंचाई	1. अनुसूचित जाति	6	6	–	5
		2. अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–
		3. अन्य	64	64	11	11
		योग	**70**	**70**	**11**	**16**
		कुल योग	**137**	**137**	**24**	**36**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चैकडेम परियोजना से लाभान्वित 67 लाभार्थियों में से शत–प्रतिशत का व्यवसाय कृषि, 13 (19.40 प्रतिशत) लाभार्थियों का व्यवसाय पशुपालन एवं 20 (29.85 प्रतिशत) लाभार्थियों का अन्य व्यवसाय रहा है। इस प्रकार अधिकांश लाभार्थी कृषि पर आधारित व्यवसाय कर रहे थे।

3.3.3 लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित 70 लाभार्थियों में से 70 (100 प्रतिशत) अर्थात् शत–प्रतिशत कृषि व्यवसाय, 11 (15.71 प्रतिशत) पशुपालन व्यवसाय एवं 16 (22.86 प्रतिशत) अन्य व्यवसाय में संलग्न थे।

3.3.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 137 लाभार्थियों में से शत–प्रतिशत का व्यवसाय कृषि, 24 (17.52 प्रतिशत) का पशुपालन एवं 36 (26.28 प्रतिशत) व्यवसाय अन्य व्यवसाय अर्थात् नौकरी, सुथारी, ड्राईविंग, कारीगरी इत्यादि रहा है। इस प्रकार अधिकांश लाभार्थियों का व्यवसाय कृषि के साथ–साथ पशु पालन रहा है।

3.4.0 चयनित उत्तरदाताओं का आय विवरण :

3.4.1 चयनित उत्तरदाताओं से चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को विकसित किये जाने से आय पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया। चैकडेम से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की आय पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम से लाभान्वितों की आय सम्बन्धी विवरण

(उत्तरदाता संख्या में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	चयनित उत्तर–दाता (संख्या)	परियोजना से पूर्व वार्षिक आय		प्रथम वर्ष (2006–07)		द्वितीय वर्ष (2007–08)		तृतीय वर्ष (2008–09)	
			0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक
1.	उन्हैल	10	9	1	1	9	–	10	–	10
2.	करमाखेड़ी	10	9	1	–	10	–	10	–	10
3.	निशालखेड़ी	10	10	–	3	7	3	7	2	8
4.	पड़ासली	10	10	–	7	3	6	4	–	10
5.	सिंघला	10	10	–	–	10	–	10	–	10
6.	बोरखेड़ी	10	10	–	1	9	–	10	–	10
7.	पारापीपली–I	3	–	3	–	3	–	3	–	3
8	पारापीपली–II	4	4	–	2	2	1	3	–	4
	योग	**67**	**62**	**5**	**14**	**53**	**10**	**57**	**2**	**65**

3.4.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चैकडेम से लाभान्वित होने वाले 67 लाभार्थियों की आय में परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 की तुलना वर्ष 2008–09 से करने पर ज्ञात होता है कि परियोजना से पूर्व 20,000 रुपये से कम की आय सीमा में 62 लाभार्थी थे जो वर्ष 2006–07 में 14 रह गये अर्थात् 48 (77.42 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में 10 लाभार्थी 20,000 रुपये से कम आय सीमा में रह गये अर्थात् 52 (83.87 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि तथा वर्ष 2008–09 में 2 लाभार्थी ही रह गये अर्थात् 60 (96.77 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई। अतः स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर वर्षों में

आय के स्तर में सुधार हुआ है। योजना क्रियान्विति के बाद भी निशालखेड़ी 2 (3.23 प्रतिशत) लाभार्थी की आय अब भी 20000 रुपये से कम पाई गई, क्योंकि निशालखेड़ी के एक कृषक के पास 1 बीघा जमीन ही पायी गई तथा योजना से पूर्व आय 6000 रुपये वार्षिक थी योजना के पश्चात् 14000 रुपये आय हो गई। जमीन कम होने के कारण मजदूरी के लिए गुजरात जाना बतलाया। इसी प्रकार द्वितीय कृषक के पास 3 बीघा भूमि पायी गई। योजना के पूर्व 6000 रुपये आय थी जो बढ़कर योजना के पश्चात् 18000 रुपये हो गई। दोनों कृषकों ने बिजली की अपर्याप्तता मुख्य कारण बतलाया।

3.4.3 योजनान्तर्गत लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वितों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है :–

लिफ्ट सिंचाई से लाभान्वितों की आय सम्बन्धी विवरण

(उत्तरदाता संख्या में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	चयनित उत्तर–दाता (संख्या)	परियोजना से पूर्व वार्षिक आय		प्रथम वर्ष (2006–07)		द्वितीय वर्ष (2007–08)		तृतीय वर्ष (2008–09)	
			0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक	0–20,000 रुपये तक	20,000 रुपये से अधिक
1.	उन्हैल–I	10	7	3	1	9	1	9	–	10
2.	पड़ासली–I	10	5	5	1	9	1	9	1	9
3.	सिंघला	10	10	–	–	10	–	10	–	10
4.	भारका	10	4	6	1	9	1	9	1	9
5.	खेजडिया	10	9	1	1	9	1	9	–	10
6.	माकोडिया	10	9	1	7	3	6	4	4	6
7.	अरनिया	10	8	2	7	3	4	6	–	10
	योग	**70**	**52**	**18**	**18**	**52**	**14**	**56**	**6**	**64**

3.4.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लिफ्ट सिंचाई से लाभान्वित होने वाले 70 लाभार्थियों की आय में परियोजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 की तुलना वर्ष 2008–09 से करने पर ज्ञात होता है कि परियोजना से पूर्व 20000 रुपये से कम आय सीमा में 52 लाभार्थी थे जो वर्ष 2006–07 में 18 रह गये अर्थात 34 (65.38 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में 14 लाभार्थी 20000 रुपये से कम की आय सीमा में रह गये अर्थात् 38 (73.08 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि तथा वर्ष 2008–09 में 6 लाभार्थी ही रह गये अर्थात् 46 (88.5 प्रतिशत) लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई। अतः स्पष्ट है कि उत्तरोत्तर वर्षों में आय के स्तर में सुधार हुआ है। योजना क्रियान्वित के पश्चात् 6 (11.54 प्रतिशत) लाभार्थी की आय वर्ष 2008–09 तक 20000 रुपये से कम पायी गई। उसका मुख्य कारण कृषकों के पास जमीन कम होना पाया गया। पड़ासली के 1 कृषक के पास 1.5 बीघा जमीन पायी गई योजना से पूर्व उसकी आय 10000

रुपये थी जो योजना के पश्चात् 18000 रुपये हो गई। भारका के 1 कृषक के पास 2 बीघा भूमि पायी गई योजना से पूर्व आय 6000 रुपये थी योजना के पश्चात् आय 15000 रुपये हो गई। इसी प्रकार माकोडिया के 4 कृषकों में से 1 कृषक के पास 2 बीघा जमीन थी योजना से पूर्व आय 2000 रुपये थी जो बढ़कर 6000 रुपये, द्वितीय कृषक के पास 3 बीघा जमीन थी योजना के पूर्व आय 2000 रुपये थी जो बढ़कर 10000 रुपये, तृतीय कृषक के पास 1 बीघा भूमि से योजना के पूर्व आय 2000 रुपये से योजना के पश्चात् 8000 रुपये एवं चतुर्थ कृषक के पास 2 बीघा जमीन पाई गई योजना के पूर्व आय 8000 रुपये से बढ़कर योजना के पश्चात् 18000 रुपये होना पाया गया। इस प्रकार इन समस्त 6 कृषकों के पास भूमि कम होने के कारण उनकी आय में अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी होना तो पाया गया परन्तु आय 20000 रुपये से कम पायी गई। ये कृषक पडासली, भारका एवं माकोड़िया में पाये गये। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शत–प्रतिशत कृषकों की वार्षिक आय में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गई। इस प्रकार सिंचाई की सुविधा होने के पश्चात् भी बिजली की नियमित आपूर्ति की कमी होने से प्रति हैक्टेयर उत्पादन कम होना लाभार्थियों ने बताया। अतः कृषकों को आशान्वित लाभ हेतु बिजली विभाग को इस सम्बन्ध में बिजली आपूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था करवाने पर ध्यान देना चाहिए।

3.5.0 प्रोजेक्ट निर्माण कार्य से परिवार को मिलने वाला रोजगार, मानव दिवस एवं प्राप्त राशि का विवरण :

3.5.1 चयनित 137, उत्तरदाताओं से परियोजना संचालन के फलस्वरूप उनके परिवार को मिलने वाले रोजगार की जानकारी एकत्रित की गई। चयनित उत्तरदाताओं को सिंचाई परियोजनाओं द्वारा परिवारों को मिलने वाले रोजगार, मानव दिवस एवं प्राप्त राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा हैं :–

(संदर्भ अवधि– मई 2001 से जनवरी 2004 तक)

क्र. सं.	कार्य का नाम	चयनित उत्तरदाता	परिवारों को रोजगार		यदि हाँ तो कुल		महिला		पुरूष	
			हाँ	नहीं	मानव दिवस	प्राप्त राशि	मानव दिवस	राशि रूपये	मानव दिवस	राशि रूपये
1.	चैकडेम	67	55	12	8325	459450	1420	78150	6905	381300
2.	लिफ्ट सिंचाई	70	62	8	5475	304725	650	35750	4825	268975
	योग	**137**	**117**	**20**	**13800**	**764175**	**2070**	**113900**	**11730**	**650275**

3.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि चयनित 137 लाभार्थियों में से 117(85.40 प्रतिशत) लाभार्थियों के परिवार को रोजगार प्राप्त हुआ। जिन 117 लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ उनके द्वारा कुल 13800 दिवस कार्य किया जाना बतलाया गया अर्थात् औसतन प्रति लाभार्थी द्वारा 118 दिवस कार्य किया जाना पाया गया। कार्य के पारिश्रमिक स्वरूप कुल राशि 764175 रूपये का भुगतान किया जाना बतलाया गया जो औसतन 55.40 रूपये मजदूरी के रूप में प्रति लाभार्थी को प्राप्त हुए।

3.5.3 तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल मानव दिवस 13800 में से 2070 (15.00 प्रतिशत) दिवस महिलाओं द्वारा कार्य किया गया तथा उन्हें कुल राशि 113900 रूपये अर्थात् औसतन 55 रूपये मजदूरी के रूप में पारिश्रमिक स्वरूप प्राप्त हुए। इसी प्रकार पुरूष लाभार्थियों द्वारा 11730(85.00 प्रतिशत) मानव दिवस कार्य किया गया तथा उन्हें कुल मजदूरी 650275 रूपये अर्थात 55.50 रूपये औसतन मजदूरी के रूपये भुगतान होना पाया गया।

3.5.4 कार्य के दौरान शत–प्रतिशत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाना पाया गया। जलोत्थान परियोजनाओं का निर्माण कार्य दस कारीगरों एवं तकनीशियनों तथा इंजीनियरों को छोड़कर शेष शत–प्रतिशत कार्य स्थानीय व्यक्तियों से ही करवाया गया।

3.5.5 सद्गुरू फाउन्डेशन संस्था से प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं के आधार पर लाभ प्रारम्भ होने का वर्ष एवं सृजित मानव दिवस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। इस सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया कि झालावाड़ जिले के गांवों में 8 चैकडेम हेतु करवाये गये कार्यों में से वर्ष 2002 में 5(62.50 प्रतिशत), 2003 में 2 (25.00 प्रतिशत) एवं 2004 में 1(12.50 प्रतिशत) ने रबी से लाभ प्रारम्भ होना बतलाया। इन 8 कार्यों पर कुल 133829 मानव दिवसों द्वारा कार्यों का सृजन किया जाना पाया गया जो औसत प्रति कार्य 16729 मानव दिवस रहा है एवं कुल सृजित मानव दिवस 156801 का 85.35 प्रतिशत है। इस प्रकार चैकडेम के निर्माण में ज्यादा मानव दिवसों की आवश्यकता होती है।

3.5.6 लिफ्ट सिंचाई के करवाये गये शत–प्रतिशत कार्यों से वर्ष 2002 रबी से लाभ प्रारम्भ होना पाया गया। लिफ्ट सिंचाई के 7 कार्यों को 22972 मानव दिवसों द्वारा सृजित करवाया गया जो औसत प्रति कार्य 3282 मानव दिवस रहा है तथा कुल सृजित मानव दिवस 156801 का 14.65 प्रतिशत है जिससे ज्ञात होता है कि चैकडेम के निर्माण की अपेक्षा लिफ्ट सिंचाई में अधिक मानव दिवसों की आवश्यकता होती है।

3.5.7 इस प्रकार परियोजनान्तर्गत करवाये गये 15 कार्यों में से वर्ष 2002 में 12 (80.00 प्रतिशत), वर्ष 2003 में 2 (13.33 प्रतिशत) एवं 2004 में 1 (6.67 प्रतिशत) कार्यों से लाभ प्राप्त होने लगा। इन कार्यों को करवाने में कुल 156801 मानव दिवसों का सृजन हुआ जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''अ''** पर दर्शाया गया है।

3.6.0 **श्रम पलायन बनाम रोजगार :**

3.6.1 परियोजना प्रारम्भ होने से पूर्व यहां के लाभार्थियों को रोजगार के कम अवसर सुलभ थे जिससे श्रम पलायन की समस्या ज्यादा रहती थी। परियोजना आरम्भ होने के पूर्व एवं पश्चात् श्रम पलायन पर पड़े प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम से श्रम पलायन पर प्रभाव

क्र. सं.	गाँव का नाम	उत्तर–दाता संख्या	योजना प्रारम्भ से पूर्व लाभार्थी बाहर गया		वर्ष में कितने दिन				वर्ष 2008–09 में बाहर मजदूरी पर जाने वाले लाभार्थी		
			हाँ	नहीं	0–30	31–60	61–90	91 से अधिक	हाँ	नहीं	स्थान एवं दिवस
1.	उन्हैल	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–
2.	करमाखेड़ी	10	7	3	–	–	2	5	1	6	उन्हैल(चौमेहला)– 100 दिवस
3.	निशालखेड़ी	10	7	3	–	–	1	6	2	5	जालौर–पाली – 120 दिवस
4.	पड़ासली	10	5	5	5	–	–	–	–	5	–
5.	सिंघला	10	6	4	–	2	4	–	–	6	–
6.	बोरखेड़ी	10	4	6	–	–	3	1	2	2	एक कस्बे – 270 दिवस एक कस्बे – 120 दिवस
7.	पारापीपली–I	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–
8	पारापीपली–II	4	4	–	–	–	–	4	–	4	–
	योग	**67**	**33**	**34**	**5**	**2**	**10**	**16**	**5**	**28**	

3.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चैकडेम क्षेत्र के 67 लाभार्थियों में से 33 (49.25 प्रतिशत) लाभार्थी योजना प्रारम्भ होने के पूर्व रोजगार हेतु पलायन करते थे। जो लाभार्थी क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु जा रहे थे उनमें से 5 (15.15 प्रतिशत) लाभार्थी 30 दिवस, 2 (6.06 प्रतिशत) लाभार्थी 31 से 60 दिवस, 10 (30.30 प्रतिशत) लाभार्थी 61 से 90 दिवस एवं 16 (48.48 प्रतिशत) लाभार्थी 91 दिवस से अधिक क्षेत्र से बाहर जाकर रोजगार के अवसर तलाशते थे। परियोजना संचालित होने के पश्चात् पलायन करने वाले लाभार्थियों कीसंख्या 33 के स्थान पर 5 (15.15 प्रतिशत) रह गई अर्थात् 84.85 प्रतिशत लाभार्थियों का पलायन कम हो गया।

लिफ्ट सिंचाई से श्रम पलायन पर प्रभाव

क्र. सं.	गाँव का नाम	उत्तर–दाता संख्या	योजना प्रारम्भ से पूर्व लाभार्थी बाहर गया		वर्ष में कितने दिन				वर्ष 2008–09 में बाहर मजदूरी पर जाने वाले लाभार्थी		
			हाँ	नहीं	0–30	31–60	61–90	91 से अधिक	हाँ	नहीं	स्थान एवं दिवस
1.	उन्हैल–I	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–
2.	पड़ासली	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–
3.	सिंघला	10	3	7	–	–	2	1	–	–	–
4.	भारका	10	1	9	–	–	1	–	–	–	–
5.	खेजडिया	10	6	4	–	–	–	6	–	–	–
6.	माकोडिया	10	2	8	–	–	–	2	–	–	–
7.	अरनिया	10	7	3	–	–	1	6	–	–	–
	योग	**70**	**19**	**51**	**–**	**–**	**4**	**15**	**–**	**–**	**–**
	कुल योग (चैकडेम + लिफ्ट सिंचाई)	**137**	**52**	**85**	**5**	**2**	**14**	**31**	**5**	**28**	

3.6.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लिफ्ट सिंचाई से लाभान्वित 70 लाभार्थियों में से 19 (27.14 प्रतिशत) लाभार्थी योजना प्रारम्भ होने के पूर्व क्षेत्र से पलायन करते थे। जो लाभार्थी क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु जा रहे थे उनमें से 4 (21.05 प्रतिशत) 61 से 90 दिवस एवं 15 (78.95 प्रतिशत) लाभार्थी 91 दिवस से अधिक दिवस तक क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु पलायन करते थे। लिफ्ट परियोजना संचालित होने के बाद पलायन करने वाले लाभार्थियों की संख्या शून्य हो गई अर्थात् क्षेत्र में ही लाभार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने लगे जो योजना की सफलता का द्योतक है।

3.6.4 तालिकाओं के और विश्लेषण से स्पष्ट है कि परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व चयनित 137 लाभार्थियों में से 52(37.96 प्रतिशत) लाभार्थी क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु पलायन करते थे जो लाभार्थी क्षेत्र से बाहर रोजगार हेतु जा रहे थे उनमें से 5 (9.61 प्रतिशत) लाभार्थी 30 दिवस, 2(3.85 प्रतिशत) लाभार्थी 31 से 60 दिवस, 14 (26.92 प्रतिशत) लाभार्थी 61 से 90 दिवस एवं 31(59.62 प्रतिशत) लाभार्थी 91 दिवस से अधिक बाहर जाकर रोजगार के अवसर तलाशते थे। क्षेत्र में 2002 से पूर्व खरीफ के दिनों में प्रायः 60 दिवस के अलावा रोजगार प्राप्त नही होता था, अतः पलायन जीवन यापन के लिए एक आवश्यक गतिविधि थी।

3.6.5 परियोजना के परिणाम स्वरूप प्रायः जुलाई से मार्च, अप्रेल तक नियमित रोजगार एवं जायद रबी की फसल लेने वाले परिवारों को प्रायः वर्ष भर पारिवारिक रोजगार मिलने लगा। परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् पलायन करने वाले लाभार्थी की संख्या मात्र 52 (37.96 प्रतिशत) के स्थान पर 5 (3.65 प्रतिशत) ही रह गयी एवं उनके द्वारा 30 दिवस के लिए ही पलायन किया जाना पाया गया। इससे स्पष्ट है कि औसतन प्रति परिवार जहां पहले वर्ष में 60 दिवस रोजगार मिलता था अब यह संख्या 180 दिन हो गई एवं क्षेत्र की श्रम पलायन समस्या नियन्त्रित हुई हैं। लिफ्ट सिंचाई परिवारों में 19 (27.14 प्रतिशत) के स्थान पर वर्तमान में एक भी परिवार पलायन नहीं करता यह सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है।

3.6.6 श्रम पलायन एवं रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने परियोजना से गरीब परिवारों की संख्या में कमी होना, लोगों की आय में अभिवृद्धि होने से क्रय शक्ति बढ़ना बतलाया। कृषि से सम्बन्धित सहायक गतिविधियाँ कृषि मजदूरी के अधिक अवसर मिलना, खाद बीज की दुकानें खुलना, कृषि उपकरण बनाने एवं ट्रान्सपोर्टेशन बढ़ने से स्थानीय रोजगार में बढ़ोत्तरी होना बतलाया जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के पलायन में भी कमी होना बतलाया गया।

3.7.0 फसल चक्र पर प्रभाव :

3.7.1 चयनित उत्तरदाताओं से परियोजना आरम्भ करने से पूर्व एवं पश्चात् खरीफ एवं रबी की फसल चक्र पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें

क्र.सं.	गाँव का नाम	योजना से पूर्व		योजना के पश्चात् (वर्ष 2008–09)		
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	जायद रबी
1.	उन्हैल	मक्का, सोयाबीन	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, चना, धनिया	–
2.	करमाखेड़ी	मक्का, सोयाबीन, ज्वार	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, चना, सरसों, धनिया	–
3.	निशालखेड़ी	मक्का, सोयाबीन ज्वार	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, धनिया	–
4.	पड़ासली	मक्का, सोयाबीन ज्वार	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, चना, धनिया	–
5.	सिंघला	मक्का, ज्वार	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, धनिया	–

6.	बोरखेड़ी	मक्का, सोयाबीन, ज्वार	गेहूँ, सरसों, चना, मैथी	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, मैथी, चना, धनिया	–
7.	पारापीपली–I	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों	–
8	पारापीपली–II	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों	–
	बोई जाने वाली फसले	**मक्का, सोयाबीन, ज्वार**	**गेहूँ, सरसों, चना, मैथी**	**मक्का, सोयाबीन**	**गेहूँ, चना, सरसों, मैथी, धनिया**	**–**

3.7.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चैकडेम क्षेत्र के लाभार्थियों ने परियोजना आरम्भ होने से पूर्व रबी में उन्हैल, करमाखेड़ी, निशालखेड़ी, पड़ासली एवं सिंघला में किसी भी प्रकार की फसल को नहीं बोना बतलाया। सिर्फ बोरखेड़ी, पारापीपली–I, II में रबी सीजन में गेहूँ, चना, मैथी, सरसों एवं धनिया की फसल बोना बतलाया एवं जायद रबी सीजन में भी किसी प्रकार की बुवाई नहीं की जाती थी। परियोजना क्षेत्र में पहले खरीफ में मक्का, सोयाबीन एवं ज्वार की फसल बोयी जाती थी परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् खरीफ में सभी लाभार्थियों द्वारा मक्का एवं सोयाबीन बोना आरम्भ कर दिया गया अर्थात् लाभार्थियों ने ज्वार के स्थान पर मक्का बहुतायत से बोना आरम्भ कर दिया। इसके साथ ही रबी सीजन में भी सभी ग्राम के लाभार्थियों ने गेहूँ, चना, सरसों, मैथी एवं धनिया बोना बतलाया। इस प्रकार उन्हें खरीफ के साथ–साथ रबी सीजन की फसलों को बोने का लाभ प्राप्त होने लगा।

लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें

क्र.सं.	गाँव का नाम	योजना से पूर्व (वर्ष 2000–01)		योजना के पश्चात् (वर्ष 2008–09)		
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	जायद रबी
1.	उन्हैल	मक्का, सोयाबीन ज्वार	गेहूँ	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, चना, धनिया	–
2.	पड़ासली	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, चना, धनिया	–
3.	सिंघला	मक्का, ज्वार	गेहूँ	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, जौ, चना, धनिया	–
4.	भारका	मक्का, सोयाबीन	–	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, मैथी, जौ, चना	–
5.	खेजडिया	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, मैथी, सरसों, चना, धनिया	रंजका

6.	माकोडिया	मक्का	—	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, मैथी	रंजका
7.	अरनिया	मक्का, सोयाबीन	—	मक्का, सोयाबीन	गेहूँ, सरसों, चना, धनिया	—
	बोई जाने वाली फसलें	**मक्का, ज्वार, सोयाबीन**	**गेहूँ**	**मक्का, सोयाबीन**	**गेहूँ, सरसों, चना, धनिया, मैथी**	**रंजका**

3.7.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र में परियोजना पूर्व रबी में उन्हैल, पडासली, सिंघला एवं खेजड़िया में ही गेहूँ की फसल बोई जाती थी। खरीफ में मक्का, सोयाबीन एवं ज्वार की फसल बोयी जाती थी। योजना के पश्चात् वर्ष 2008–09 में खरीफ में मक्का एवं सोयाबीन तथा रबी में गेहूँ, सरसों, चना, धनिया, जौ एवं मैथी की फसल बोयी जाने लगी। इस प्रकार रबी में सिंचाई की सुविधा मिलने से फसलों में विस्तार हुआ है। सिंचाई की सुविधा मिलने से रबी में फसलें बहुतायत से बोयी जाने लगी। जायद रबी में रंजके की खेती भी की जाने लगी। इस प्रकार योजना से लाभान्वित होने के पश्चात् चयनित समस्त गाँवों अर्थात् उन्हैल, करमाखेड़ी, निशालखेड़ी, पड़ासली, सिंघला, भारका, माकोड़िया एवं अरनिया में रबी सीजन की फसलों में गेहूँ, चना, मैथी, सरसों, धनिया की खेती होने लगी एवं खरीफ में मक्का एवं सोयाबीन की खेती सभी गांवों में की जाने लगी, जायद रबी में लिफ्ट सिंचाई परियोजना क्षेत्र के खेजड़िया एवं माकोड़िया में रजंका बोया जाने लगा। इस प्रकार परियोजना से समस्त लाभार्थियों को रबी एवं खरीफ में फसल बोने का लाभ मिलने लगा।

3.7.4 इस प्रकार खरीफ एवं रबी सीजन में चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र में लाभार्थियों को फसलों का लाभ मिलने लगा। शत–प्रतिशत लाभार्थियों ने अवगत कराया कि सद्गुरू फाउन्डेशन के अधिकारी उन्नत कृषि एवं विविध फसलों की जानकारी देते/प्रेरित करते हैं। सद्गुरू फाउण्डेशन के अधिकारियों ने अवगत कराया कि जिला कृषि उप निदेशक आदि से भी सम्पर्क कर क्षेत्र में उन्नत कृषि की जानकारी देने का कई बार आग्रह भी किया परन्तु जिला अधिकारियों ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखाई। क्षेत्र में जल जो कृषि का मूलभूत आदान (इनपुट) है उसकी पूर्ण उपलब्धता एवं पूर्ण उपयोग की जानकारी देने हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार हेतु पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए तथा उन्नत कृषि एवं विविध फसलों की जानकारी कृषकों को देने की सुदृढ़ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि क्षेत्र में आर्थिक सम्पन्नता में इजाफा होकर कृषकों की माली हालत आशानुरूप सुधार सके।

3.7.5 इस सम्बन्ध में सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने परियोजना संचालित होने के पश्चात् खरीफ एवं रबी में सभी गांवों में फसलों के बाये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की, साथ ही अवलोकित तथ्यों के आधार पर भी कार्यकर्ताओं ने योजना के संचालन से खरीफ एवं रबी में लाभार्थियों को पानी की उपलब्धता से लाभ होना बतलाया।

3.8.0 सिंचित क्षेत्रफल पर प्रभाव :

3.8.1 परियोजना के पूर्व क्षेत्र में कुओं से सिंचाई होती थी सिंचाई के और कोई साधन नहीं थे। कुओं का जल स्तर घट चुका था। ग्रामवासियों के अनुसार करमाखेड़ी, निशालखेड़ी, भारका, माकोड़िया, अरनिया में सिंचित रकबा नहीं के बराबर था। परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् सिंचित क्षेत्रफल में अभिवृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम योजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल बीघा में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	लाभार्थी संख्या	कुल भूमि	कैचमेन्ट एरिया	सिंचित क्षेत्रफल			
					प्रोजेक्ट से पूर्व (2000–01)	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
1.	उन्हैल	10	150	94	–	86	93	93
2.	करमाखेड़ी	10	67	65.5	1	62.5	65.5	65.5
3.	निशालखेड़ी	10	36	36	–	36	36	36
4.	पड़ासली	10	49	25.75	0.5	25.75	25.75	25.75
5.	सिंघला	10	67	47	–	47	47	47
6.	बोरखेड़ी	10	58	45.50	14	42.50	42.50	45.50
7.	पारापीपली–I	3	50	30	25	30	30	30
8	पारापीपली–II	4	19	19	7	19	19	19
	योग	**67**	**496**	**362.75**	**47.50**	**348.75**	**358.75**	**361.75**

3.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चैकडेम योजनान्तर्गत लाभान्वित 67 उत्तरदाताओं के पास कुल भूमि 496 बीघा पायी गई जिसमें से केचमेन्ट एरिया में 362.75 बीघा भूमि थी। परियोजना आरम्भ होने के पूर्व सिंचित क्षेत्रफल 47.50 (13.09 प्रतिशत) था। योजना से लाभ प्रारम्भ होने के पश्चात् वर्ष 2006–07 में सिंचित क्षेत्रफल 348.75 (96.14 प्रतिशत), वर्ष 2007–08 में 358.75 (98.90 प्रतिशत) एवं वर्ष 2008–09 में 361.75 (99.72 प्रतिशत) हो गया अर्थात् प्रतिवर्ष सिंचित क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई। योजना आरम्भ होने के पश्चात् सिंचित क्षेत्रफल में 86.63 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

लिफ्ट सिंचाई योजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल

(क्षेत्रफल बीघा में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	लाभार्थी संख्या	कुल भूमि	कैचमेन्ट एरिया	सिंचित क्षेत्रफल			
					प्रोजेक्ट से पूर्व	वर्ष 2006–07	वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
1.	उन्हैल	10	268	84	12	64.5	64.5	64.5
2.	पड़ासली	10	95.5	87.5	14	87.5	87.5	87.5
3.	सिंघला	10	158	49.5	3	49.5	49.5	49.5
4.	भारका	10	156	21	–	21	21	21
5.	खेजडिया	10	92	52	5	52	52	52
6.	माकोडिया	10	83	23	–	23	23	23
7.	अरनिया	10	66	27	–	27	27	27
	योग	**70**	**918.50**	**344**	**34**	**324.5**	**324.5**	**324.5**
	कुल योग (चैकडेम + लिफ्ट सिंचाई)	**137**	**1414.50**	**706.75**	**81.5**	**673.25**	**683.25**	**686.25**

3.8.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लिफ्ट सिंचाई योजनान्तर्गत चयनित 70 लाभार्थियों के पास 918.50 बीघा भूमि पायी गई जिसमें से केचमेन्ट एरिया में खरीफ/रबी में 344 बीघा भूमि में से परियोजना पूर्व 34 (9.88 प्रतिशत) बीघा सिंचित भूमि थी। परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् सिंचित क्षेत्रफल वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 में 324.5 (94.33 प्रतिशत) हो गया। इस प्रकार परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् सिंचित क्षेत्रफल में 84.45 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

3.8.4 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित 137 उत्तरदाताओं के पास योजनान्तर्गत कुल 1414.50 बीघा भूमि में से केचमेन्ट एरिया में 706.75 बीघा भूमि थी। परियोजना आरम्भ होने से पूर्व खरीफ/रबी में मात्र 81.50 (11.53 प्रतिशत) बीघा भूमि में ही फसल बोई जाती थी। जलोत्थान सिंचाई परियोजनान्तर्गत चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाएं निर्मित किये जाने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों का सिंचित क्षेत्रफल 81.50 बीघा भूमि से बढ़कर खरीफ/रबी में वर्ष 2006–07 में 673.25 (95.26 प्रतिशत), वर्ष 2007–08 में 683.25 (96.67 प्रतिशत) एवं तृतीय वर्ष में 686.25 (97.10 प्रतिशत) हो गया अर्थात् प्रतिवर्ष सिंचित क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हुई। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल में 85.57 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी परियोजना से लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ को दर्शाता है।

3.8.5 चयनित समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने भी सिंचित क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी होने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बतलाया कि परियोजना क्षेत्र में कुओं से बहुत कम सिंचाई होती थी। सिंचाई के साधन कुओं का जलस्तर घट चुका था। राजस्व रिकार्ड के अनुसार एवं ग्रामवासियों के अनुसार करमाखेड़ी, निशालखेड़ी, पड़ासली, अरनिया आदि सभी परियोजना क्षेत्र के ग्रामों में सिंचित रकबा बहुत कम

था। मात्र खरीफ में ज्वार, मक्का की फसल होती थी जो प्रायः12 से 15 क्विटल प्रति हैक्टर की दर से होती थी। जून,2002 में परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होते ही रबी 2002 से ही क्षेत्र में रबी की फसल गेहूँ, चना बोना आरम्भ हो गया और कुछ गांवों में तो पूरे गांव का कृषि योग्य क्षेत्रफल सिंचित होने लगा जैसे करमाखेड़ी, निशालखेड़ी व अरनिया आदि। इस कार्यक्रम से न केवल परियोजना क्षेत्र के 11 ग्राम अपितु मध्यप्रदेश क्षेत्र के 16 अथवा इससे भी अधिक गांवों में सिंचाई का लाभ मिलने लगा। इस प्रकार कुल 27 गांवों में (मध्यप्रदेश एवं राजस्थान) प्रायः 25000 से अधिक व्यक्ति परोक्ष रूप से लाभान्वित होने लगे। अकेले उन्हेल के सामने मध्यप्रदेश के दो ग्रामों किशनगढ़ एवं धतरिया के किसान 150 मोटरें/डी.पी.एस. लगाकर खेतों में सिंचाई करने लगे। जिससे प्रति परिवार 10000 रूपये औसत वार्षिक आय बढ़कर 50000 रूपये अथवा इससे अधिक होने लगी। इस प्रकार परियोजना लाभार्थियों की आय एवं सिंचित क्षेत्रफल में अभिवृद्धि में सहायक रही है एवं परियोजना से लाभार्थियों को रोजगार मिलने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा हैं।

3.9.0 लाभार्थियों के रहन–सहन एवं सुख–सुविधाओं पर प्रभाव :

3.9.1 चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना संचालित होने के पश्चात् परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों के रहन–सहन में काफी बदलाव परिलक्षित होने लगा है। लाभार्थियों के सुख–सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

चैकडेम क्षेत्र के लाभार्थियों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं का विवरण (वर्ष 2008–09)

क्र. सं.	गाँव का नाम	लाभार्थी की संख्या	पक्का मकान		मोटर साइकिल		फोन/मोबाइल		टी.वी.		पशुधन	
			परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्
1.	उन्हैल	10	–	1	–	3	–	8	–	8	7	10
2.	करमाखेड़ी	10	–	–	–	–	–	5	–	3	8	9
3.	निशालखेड़ी	10	–	–	–	–	–	4	–	3	8	8
4.	पड़ासली	10	–	–	–	–	–	6	–	–	5	9
5.	सिंघला	10	–	–	–	1	–	6	–	–	9	9
6.	बोरखेड़ी	10	–	4	–	1	–	8	–	–	9	10
7.	पारापीपली–I	3	2	3	–	1	–	3	1	3	3	3
8	पारापीपली–II	4	1	1	–	–	–	2	–	2	–	4
	योग	**67**	**3**	**9**	–	**6**	–	**42**	**1**	**19**	**49**	**62**

3.9.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट कि चैकडेम परियोजना आरम्भ होने के पूर्व 67 लाभार्थियों में से 3 (4.48 प्रतिशत) के पास ही पक्के मकान थे। परियोजना से लाभान्वित होने के पश्चात् 9 (13.43 प्रतिशत) के पास वर्तमान में पक्के मकान पाये गये। मोटर साइकिल, फोन/मोबाइल फोन परियोजना से पूर्व किसी के पास नहीं था, जबकि परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् वर्ष 2008–09 में 6 (8.96 प्रतिशत) के पास मोटर साइकिल, 42 (62.69 प्रतिशत) के पास फोन/मोबाइल फोन पाये गये। टी.वी. भी

परियोजना पूर्व 1 (1.49 प्रतिशत) से बढ़कर 19 (28.36 प्रतिशत) के पास हो गये। पशुधन परियोजना पूर्व 49 (73.13 प्रतिशत) के पास थे जिनकी संख्या बढ़कर 62 (92.54 प्रतिशत) हो गई। इस प्रकार चैकडेम क्षेत्र के लाभार्थियों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं में विस्तार पाया गया।

लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र के लाभार्थियों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं का विवरण(वर्ष 2008–09)

क्र. सं.	गाँव का नाम	लाभार्थी की संख्या	पक्का मकान		मोटर साइकिल		फोन/मोबाइल		टी.वी.		पशुधन	
			परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्	परियोजना से पूर्व	परियोजना के पश्चात्
1.	उन्हैल–I	10	1	2	–	3	–	8	–	3	8	10
2.	पड़ासली	10	2	3	–	2	–	10	–	6	7	10
3.	सिंघला	10	–	1	–	2	–	5	–	–	8	8
4.	भारका	10	–	2	–	1	–	3	–	3	7	7
5.	खेजडिया	10	–	4	–	–	–	7	–	–	6	10
6.	माकोडिया	10	–	–	–	–	–	4	–	4	6	6
7.	अरनिया	10	–	–	–	2	–	8	–	8	4	10
	योग	**70**	**3**	**12**	**–**	**10**	**–**	**45**	**–**	**24**	**46**	**61**

3.9.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि लिफ्ट सिंचाई क्षेत्र के शत–प्रतिशत लाभार्थियों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पक्के मकान परियोजना पूर्व 3 (4.29 प्रतिशत) लाभार्थियों के पास थे जिनकी संख्या बढ़कर 12(17.14 प्रतिशत) हो गई। मोटर साइकिल, फोन, मोबाइल फोन, टी.वी. किसी लाभार्थी के पास नहीं था वर्तमान में मोटर साइकिल 10 (14.29 प्रतिशत), फोन/मोबाइल फोन 45 (64.29 प्रतिशत) एवं टी.वी. 24 (34.29 प्रतिशत) के पास पाये गये। पशुधन परियोजना पूर्व 46 (65.71 प्रतिशत) के पास थे वर्तमान में 61 (87.14 प्रतिशत) के पास पाये गये।

3.9.4 इस प्रकार तालिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लाभार्थियों के रहन–सहन के स्तर में काफी बदलाव आया है। अब पहले से अच्छे घर बनने लगे है। गुजराती प्रकार के केवलु का उपयोग करने लगे है। पहले से अच्छे वस्त्र–बिस्तर एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएं, बर्तन आदि का प्रयोग करने लगे हैं। 80 प्रतिशत घरों में बिजली एवं पंखों का उपयोग किया जाना पाया गया। मोटर साइकिल, टी.वी., फोन/ मोबाइल फोन आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार रहन–सहन के स्तर में काफी परिवर्तन देखा गया।

3.9.5 इस सम्बन्ध में सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने क्षेत्र में करवाये गये कार्यों को उपयोगी एवं लाभदायक बतलाया। परियोजना से गरीब परिवारों की संख्या में कमी हुई, क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ा है। परियोजना द्वारा आय वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से रहन–सहन, खान–पान में वृद्धि से खुशहाली बढ़ना एवं भौतिक सुख–सुविधाओं में वृद्धि होना बतलाया। कृषि से सम्बन्धित

गतिविधियाँ डेयरी उद्योग, पशुपालन हेतु पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी, खाद एवं बीज की दुकाने खुलना एवं यातायात हेतु ट्रैक्टर की संख्या में बढ़ोत्तरी होना पाया गया। इस प्रकार समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ मिलना बतलाया है जो पीढ़ियों तक के लिए जीवन निर्वाह का साधन बना है। महिलाओं में जागृति, बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि, रहन–सहन एवं खान–पान के स्तर में सुधार होना बतलाया।

3.10.0 कार्य की गुणवत्ता सम्बन्धी विवरण :

3.10.1 शत–प्रतिशत लाभार्थी उत्तरदाताओं ने चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई कार्य की गुणवत्ता अच्छी बतलायी तथा निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी का सामान प्रयोग में लिया जाना बतलाया। सामग्री में उच्च गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखकर निर्माण कार्य करवाया जाना बतलाया।

3.10.2 इस सम्बन्ध में समस्त सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने सद्गुरू के द्वारा निर्मित चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई के कार्यों की गुणवत्ता अच्छी बतलाई। निर्माण सामग्री का परीक्षण सद्गुरू ''गुजरात इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद'' बड़ोदरा जो देश की एक विख्यात संस्था है उनके द्वारा करवाया गया जिनमें निम्न विशेषताओं का ध्यान रखा गया :–

(1) क्यूब्स परीक्षण एवं गुणवत्ता :

निर्माण प्रक्रिया के दौरान कंक्रीट की गुणवत्ता एवं मजबूती जांचने के लिए क्यूब्स का परीक्षण किया गया तथा इन परीक्षणों की जांच रिपोर्ट दर्शाती है कि कंक्रीट की गुणवत्ता एवं मजबूती निर्धारित डिजाईन मजबूती से कही अधिक है। सभी चैकडेम में सरिया, एन्करिंग एवं ग्राऊटिंग का कार्य किया जाना पाया गया।

(2) गुणवत्ता के लिए उत्तरदायित्वता :

सामग्री में उच्च गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया क्राफ्ट इंजीनियर या इन्चार्ज इसके लिए उत्तरदायी होते है।

(3) कटाव पर विशेष ध्यान दिया जाना :

सीधंला में चम्बल नदी पर बना डेम जिसे शिप्रा और चम्बल के संगम का प्रबल प्रचंड प्रवाह झेलना पड़ता है। वर्षाकाल में जल प्रवाह डेम से सैकड़ों फीट ऊपर रहता है फिर भी इनकी संरचना (Down Stream) में जरा भी कटाव नहीं होना इनकी गुणवत्ता, कारीगरी डिजाइन एवं तकनीकी दक्षता का परिचायक है।

(4) **जल दबाव हेतु गुरूत्वाकर्षण के अनुरूप :**

लिफ्ट के मामलें में क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों के संदर्भ में सर्विस पाइप लाईन बिछाना, मुख्य चैम्बर, वितरण चैम्बर इत्यादि का निर्माण करना इसके लिए क्षेत्र के सबसे उच्चतम भूमि/बिन्दुओं का चयन करना, जिससे जल दबाव गुरूत्वाकर्षण के अनुरूप किया गया है। लाभार्थियों के खेतों में धोरे आदि बनाने में पर्याप्त मार्गदर्शन किया गया है। इस प्रकार इस व्यवस्था से पानी का अधिकतम अनुकूलतम (Optimum) उपयोग सम्भव हो सका हैं।

(5) **तकनीकी विशिष्टताओं का कठोरतम अनुसरण :**

इस प्रकार निर्मित चैकडेम में पर्याप्त सामग्री संग्रहित रहना एवं अच्छी क्वालिटी का सामान प्रयोग लेना बतलाया गया। प्रबन्धन समिति के माध्यम से रखरखाव की व्यवस्था भी व्यवस्थित एवं उपयुक्त बतलाई हैं। इस प्रकार तकनीकी विशिष्टताओं का कठोरतम अनुसरण किया गया हैं। सतगुरू द्वारा तय कठोर एवं उच्च स्तरीय मानकों का सूक्ष्मता से पालन किया गया है। जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम अच्छी सामग्री प्राप्त की जाकर लागत को नियन्त्रित रखा जाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए समयबद्धता का पूर्ण ध्यान रखा गया हैं।

3.11.0 **अन्य प्रभावों का विवरण :**

(1) **भराव क्षमता :**

चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित शत–प्रतिशत लाभार्थियों एवं सरकारी गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने चैकडेम की भराव क्षमता बहुत अच्छी बतलाई। बारह महीने पानी रहना बतलाया। पर्याप्त पानी संग्रहित रहने से खरीफ–रबी एवं जायद रबी की फसलों के अलावा पशु पेयजल एवं पर्यावरण लाभ मिलना बतलाया। वृक्ष, वनस्पति अप्रेल माह तक भी हरी–भरी देखी जा सकती है। यह सभी डेम की उच्च भराव क्षमता का परिणाम है।

(2) **जल स्तर बढ़ना :**

सरकारी एवं गैर–सरकारी सभी उत्तरदाताओं ने तथा लाभार्थियों ने अवगत कराया है कि जिलों में अधिकांश कुओं में जल स्तर गहरा होता जा रहा है तथा कुएं सूख भी गये हैं लेकिन एनीकट एवं लिफ्ट योजना से पानी भराव बने रहने से परियोजना क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में कुओं में प्रायः 6 से 10 फीट तक जल स्तर ऊपर उठना पाया गया है। जो कुएँ पूर्व में सूख चुके थे उनसे अब पुनः सिंचाई होने लगी है।

(3) **कृषि भूमि मूल्य :**

परियोजना लागू होने के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्रफल में आमूल वृद्धि के कारण औसतन जहाँ 50000 रूपये से 60000 रूपये प्रति हैक्टर की दर से कृषि भूमि उपलब्ध हो जाती थी, अब यह दर प्रति हैक्टर रूपये 1.50 लाख रूपये से 2.00 लाख रूपये अथवा इससे कही अधिक हो गई। वैसे सिंचित भूमि होने से अब कृषि भूमि की उपलब्धता दुर्लभ सी है। लोग जमीन किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि अब जमीन संसाधन बन गया है जिससे परिवार अच्छी गुजर–बसर करने लगे हैं।

(4) **सहायक धन्धें :**

परियोजना के परिणाम स्वरूप जहां पहले खरीफ की फसल के बाद लोग पलायन को विवश थे अब पशुपालन एवं मावा उद्योग के रूप में उन्हें सहायक धन्धों द्वारा अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होने लगा है।

(5) **खाद्य चक्र (Food Pattern) :**

इस क्षेत्र में 2001 तक लोगों का भोजन मुख्यतः ज्वार/मक्का ही होता था। गेहूँ की रोटी किसी विशिष्ट मेहमान के आने पर भी मुश्किल से बनाई जाती थी। भोजन में दाल का प्रायः अभाव होता था। 2002 के बाद से यहां के भोजन चक्र में परिवर्तन आया है अब लोग गेहूँ, दाल, सब्जी, दूध दही, छाछ आदि का प्रयोग करने लगे है हरी सब्जियों की सुलभता होने लगी है। त्यौहार पर अच्छे व्यजंन भी बनाने लगे है। इस प्रकार खानपान के स्तर में बढ़ोतरी हुई है जो इन्ही परियोजनाओं का परिणाम हैं।

(6) **रोजगार पर प्रभाव :**

समस्त चयनित लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं ने क्षेत्र में निर्माण की गयी परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को निर्माण कार्य, कृषि मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन से रोजगार प्राप्त होना बतलाया है। कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा खाद–बीज की दुकान व कृषि उपकरण की दुकान खोलने से रोजगार प्राप्त होना बतलाया। डेयरी उद्योग (मावा उत्पादन) में विस्तार होना बतलाया।

3.12.0 **प्रबन्धन समिति का गठन :**

3.12.1 जलोत्थान सिंचाई योजना को आरम्भ करने के साथ ही प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है। सद्गुरू फाउण्डेशन ने सहकारिता सिद्धान्तों का अनुसारण करते हुए प्रत्येक लिफ्ट परियोजनाओं के लिए सभी जल उपभोक्ता कृषकों की एक ''जल प्रबन्धन समिति बनाई है। प्रत्येक किसान जो इस योजना का लाभ प्राप्त करता है प्रबन्धन समिति का सदस्य होता है। यह समिति राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। परियोजनान्तर्गत निर्मित 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई

योजनाओं का निर्माण किया गया है। इनके देखरेख एवं कार्यो के संचालन हेतु 11 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष पदाधिकारी होता है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव आदि का चयन लोकतान्त्रिक रीति से होता है। सचिव समिति का समस्त लेखा संधारण हेतु जिम्मेदार होता है। दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक में लेन देन किया जाता है। प्रबन्धन समिति द्वारा वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं मासिक बैठके आयोजित की जाती है। यह प्रबन्धन समिति पानी वितरण, सिंचाई शुल्क निर्धारण, सिंचाई शुल्क की वसूली व आय व्यय का लेखा तैयार करने के साथ ही योजना संचालन व रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है। सिंचाई के लिए एक पम्प आपरेटर, वाल्वमैन एवं एक चौकीदार रखा जाता है जो जल वितरण एवं संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। बरसात से पहले चैकडेम के गेट खोलकर सुरक्षित रखने एवं उनकी सार सम्भाल करना व लिफ्ट के सामानों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक–पृथक समिति का गठन किया जाता है।

3.13.0 **प्रबन्धन समिति का गठन वर्ष :**

3.13.1 परियोजना के आरम्भ होने के साथ ही प्रबन्धन समितियों के गठन किये जाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाता है। क्षेत्र कार्य के दौरान विदित हुआ कि सभी प्रबन्धन समितियाँ सहकारिता नियमों के तहत पंजीकृत पायी गयी। सभी सहकारी समितियों द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के निर्देशन में एक फेडरेशन संघ बनाया है। फेडरेशन के माध्यम से जलोत्थान सिंचाई परियोजनान्तर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण समय पर किया जाता है एवं तकनीकी कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है। कार्यकारी एजेन्सी एन. एम. सद्गुरू फाउण्डेशन द्वारा सभी समितियों को रजिस्टर्ड करवाकर अपने निर्देशन में बने संघ को तकनीकी सलाह देता है तथा संचालन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है जिसके आधार पर सभी समितियाँ अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाने में सफल रहती है।

3.14.0 **प्रबन्धन समिति के गठन का वर्षवार विवरण :**

3.14.1 समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजना हेतु डग जिला झालावाड़ हेतु गठित प्रबन्धन समिति के गठन का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल परियोजना	समिति संख्या	प्रबन्धन समिति के गठन का वर्ष		
				2002	2003	2004
1.	चैकडेम	8	6	3	1	2
2.	लिफ्ट सिंचाई योजना	7	7	6	1	–
	योग	**15**	**13**	**9**	**2**	**2**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चैकडेम की 8 एवं लिफ्ट ईरिगेशन की 7 कुल 15 परियोजनाओं के संचालन हेतु 15 समितियों का गठन किया जाना था। परन्तु वर्ष 2002 में 9(60.0 प्रतिशत), वर्ष 2003 में 2(13.33 प्रतिशत) एवं वर्ष 2004 में 2(13.33 प्रतिशत) समितियों का गठन किया गया। चैकडेम पारापीपली–I एवं II में मात्र 3–4 कृषक होने के कारण 2(13.34 प्रतिशत) में प्रबन्धन समिति का गठन नहीं किया जा सका। इस प्रकार कुल 13 समितियों को गठित किया जाना पाया गया। इन समस्त समितियों में अध्यक्ष, सचिव एवं 11 सदस्यों द्वारा समिति का स्वरूप निर्धारित किया गया जो शत प्रतिशत में पाया गया।

3.15.0 **प्रबन्धन समिति के कार्य :**

3.15.1 लिफ्ट योजनाएँ पूर्व निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अधीन पूर्णतः समुदाय प्रबन्धित एवं संचालित है। यह नियम एवं प्रक्रियाएँ ग्राम समुदाय के द्वारा निर्मित एवं पूर्णतः स्वीकृत है। जल प्रबन्धन समिति द्वारा किये जाने कार्य निम्नानुसार है :–

(I) जल वितरण सुनिश्चित करना।

(II) प्रति घंटे की दर से पूर्व निर्धारित राशि का संग्रहण करना।

(III) लिफ्ट का संचालन एवं संधारण पूर्णतः सुनिश्चित करना।

(IV) विद्युत विभाग में विद्युत बिल जमा कराना।

(V) लेखा संधारण करना।

(VI) बैंक लेन देन करना।

(VII) किसी भी छोटी या बड़ी खराबी को दूर करना।

(VIII) सिंचाई हेतु निर्धारित औसतन 15 घण्टे पानी देने का नियम बनाया गया है उसके अनुसार एक कृषक को अधिकतम 15 घण्टे पानी दिया जाना तय किया गया है। जल सुनिश्चित है और प्रायः पर्याप्त भी है किन्तु विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त होने से ऐसा किया गया है जिससे सभी को औसतन सिंचाई का अवसर प्राप्त हो सके।

(IX) लिफ्ट आपरेटर एवं वॉल्वमेन की नियुक्ति करना तथा उन्हें वेतन चुकाना। लिफ्ट आपरेटर लिफ्ट कन्ट्रोल रूम का कार्य देखता है लिफ्ट चालू/बन्द करना एवं देखरेख एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता है। वॉल्वमेन मुख्य चैम्बर एवं वितरण चैम्बर से कृषकों के खेतों में जल प्रवाह हेतु वॉल्व खोलने एवं बन्द करने का कार्य भी करता है। इनका वेतन सिंचाई काल के लिए प्रायः 4 से 6 माह होता है जिसके लिए उनको 1500 से 1700 रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

(X) प्रबन्धन समिति द्वारा वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं मासिक बैठकों का आयोजन कर कार्यवाही विवरण लिखना एवं आपसी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है।

3.15.2 सद्गुरू फाउण्डेशन समिति द्वारा प्रबन्धन समिति के कार्यकारिणी सदस्यों को पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। जिनके द्वारा नियमित देखभाल की जाती है जो विवाद समिति आपस में नही सुलझा पाती है उसे सद्गुरू के अधिकारी सुलझाते हैं। सद्गुरू फाउण्डेशन समिति द्वारा दूरभाष पर भी समितियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। समितियों ने उपयुक्त सेवा प्रदाता इलेक्ट्रिशियन आदि से अनुबन्ध कर रखा है जिनके द्वारा निर्धारित राशि से तुरन्त कार्य हो जाता है एवं सीजन के समय किसानों को समय लगने पर बहुत हानि होती है जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है अतः यह एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक प्रबन्धन का तरीका सिद्ध हुआ है। कई समितियों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वहाँ के किसान इन्दौर, बडौदरा आदि स्थानों पर जाकर तुरन्त सामान लाने में तत्परता दिखाते है अर्थात् वे अत्यधिक जागरूक पाये गये।

3.15.3 फेडरेशन का क्रियात्मक ढ़ाँचा त्रिस्तरीय है :–

(I) प्रथम स्तर पर सभी समितियों को प्रशिक्षित करना, सेवायें प्रदान करना एवं समस्याओं का समाधान करना सम्मिलित है।

(II) द्वितीय स्तर पर फेडरेशन का कार्य सरकार एवं गाँव के बीच सेतु बनना है इसके लिए सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।

(III) तृतीय स्तर पर फेडरेशन को इतना सक्षम बना दिया जायेगा कि यह कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उचित विपणन व्यवस्था बनना, कृषि आदान उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक, उन्नत बीज आदि का वितरण एवं उन्नत खेती, पशुपालन, पर्यावरण आदि का समुचित कार्य किया करेगा। इसके लिए सद्गुरू बाहर से वांछित सहयोग उपलब्ध कराता रहेगा।

3.16.0 प्रबन्धन समिति की कार्य प्रणाली से ग्राम समुदाय की प्रतिक्रिया :

3.16.1 प्रबन्धन समिति की कार्य प्रणाली से गाँव के कृषक जो उनसे जुड़े है। शत प्रतिशत ने बतलाया कि ग्रामवासियों की बनाई हुई संस्था होने से उनके हित प्रत्यक्ष रूप से सीधे जुड़े हुए है और समिति द्वारा प्रभावी ढ़ग से कार्य किया जाना पाया गया। शत प्रतिशत समितियों ने योजना से जल स्तर का बढ़ना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन बढ़ना, आय बढ़ने से क्रय शक्ति में वृद्धि होना, सहकारिता की भावना बढ़ना, शिक्षा, चिकित्सा एवं रहन–सहन के स्तर में सुधार होना बतलाया।

3.16.2 एन.जी.ओ. सद्गुरू फाउण्डेशन की कार्य प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी, ईमानदारीपरक, सेवाभावी एवं समर्पण–पूर्ण हैं। सारा कार्य लक्षित समूह को विश्वास में लेकर किया जाता है। इस क्षेत्र में शुरू में कार्य करना इतना सहज नहीं था क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत विषम थी, असामाजिक तत्व बहुत थे क्षेत्र में कच्ची शराब की भट्टियाँ चलती थी, चोरी लूट–पाट आम बात थी, यहाँ का समाज दशा एवं दिशा विहीन था। ऐसी स्थितियों में ग्रामवासीगण मकोड़िया का कहना है कि हम लोग कुऐं में गिरे हुए थे। सद्गुरू ने हमें लाचारी निर्धनता के अन्धें कुएँ से हाथ पकड़कर बाहर निकाला है। हमारे लिए पीढ़ियों तक के लिए जीवन निर्वाह का साधन बना दिया। ग्रामवासी निशालखेड़ी का कहना है कि सद्गुरू संस्था हमारे लिए देवी वरदान के समान है हमे जीने का सहारा दिया तब से अब तक लगातार हमारे साथ खड़ा है। इसी कारण आज हमारे चेहरे पर मुस्कराहटें हैं। ग्राम खेजड़िया, करमाखेड़ी, उन्हेल आदि के ग्रामवासियों ने भी ऐसी ही भावनाएँ प्रकट की है। उनके द्वारा 15 कार्यो का निर्माण कर सौंपने के पश्चात् भी अपने संगठन एवं समाज की एकनिष्ठ प्रतिबद्धता के कारण आज भी गांवों से जुड़े हुए है एवं प्रशिक्षण, सम्पर्क, देखरेख महिला सशक्तिकरण आदि का काम करना पाया गया।

3.17.0 सद्गुरू बनाम सरकारी एजेन्सी :

3.17.1 इस परियोजना का कार्य सद्गुरू के अलावा किसी अन्य सरकारी एजेन्सी से करवाया जाता तो कैसा रहता इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने बतलाया कि सद्गुरू की भांति इतनी अल्प अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। सद्गुरू ने प्रायः 6 माह की रिकार्ड अवधि में 6 डेम और 2 माह में लिफ्ट के 7 कार्य पूर्ण किये है। इन कार्यो में वर्षो का समय लग सकता था। सामग्री एवं समूचे कार्य की गुणवत्ता सरकारी एजेन्सी से सद्गुरू के स्तर की होना कल्पनातीत है। इतनी उत्कृष्ट डिजाइन बरस चलने वाला अत्यधिक मजबूत निर्माण सरकारी एजेन्सी से असम्भव ही था। सरकारी एजेन्सियाँ ठेके से कार्य करवाती है। अतः उसमें स्थानीय भागीदारी नहीं होती जिससे स्थानीय समुदाय को रोजगार भी प्राप्त नहीं होता। सरकारी एजेन्सियाँ के जितने काम देखे गये है उनमें जल रिसाव होता है अगर इसका कारण पूछा जाय तो उनका उत्तर होता है जल भराव के लिए नहीं हैं। जल स्तर बढ़ाने के लिए है पर्यावरण सुधार के लिए, इसमें पानी भरा रहेगा तो जल स्तर बढ़ेगा नहीं इत्यादि। सांराश में सद्गुरू द्वारा करवाये गये कार्यो का संस्थागत ढ़ाँचा बहुत ही सुदृढ़ बतलाया गया।

3.18.0 **प्रबन्धन समिति बनाये जाने से लाभार्थियों पर प्रभाव :**

3.18.1 जल प्रबन्धन के दृष्टिकोण से परियोजना क्षेत्र में गठित लधु सिंचाई सहकारी समितियाँ आज बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। प्रारम्भिक स्तर पर ग्रामवासी इसके लिए तैयार नहीं थे। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामों में ऐसी संस्थाओं का सफल संचालन अपूर्व सफलता है। इसी प्रकार 7 ग्रामों में 20 पुरूष एवं 12 महिला स्वयं सहायता समूह जिनमें क्रमशः 284, 174 सदस्य है सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाओं से ग्रामवासियों को उनके विकास को गतिमान बनाने की प्रेरणा मिली है। इन संस्थाओं के गठन से न केवल संस्थागत निर्माण हुआ अपितु सामाजिक एकता बचत की आदत, महिलाओं में सामाजिक व्यवहार की सीख आदि गुणों का विकास हुआ है। महिला सशक्तिकरण के उपायों पर पर्याप्त बल मिला है। व्यष्टि – वित्त पोषण (Micro Finance) की ओर महिलाओं को उन्मुख किया। महिलाओं को फलोद्यान पुष्पोद्यान, बूँद–बूँद सिंचाई की ओर प्रेरित किया गया। पूर्व की तुलना में इनमें आत्मविश्वास, बैंक व्यवहार की सीख एवं सामाजिक खुलापन आया हैं।

3.18.2 परियोजना से सभी जाति के लाभार्थी वर्ग को रोजगार प्राप्त हुआ। श्रम पलायन का दबाव बहुत कम हो गया। विभिन्न जाति, धर्म समुदाय के होने के बावजूद भी उच्च स्तर की सामाजिक एकता का विकास हुआ है।

3.19.0 **प्रबन्धन समिति के सम्मुख आने वाली कठिनाईयाँ :**

3.19.1 प्रबन्धन समिति द्वारा दर्शायी गयी कठिनाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) प्रबन्धन समिति के अनुसार बिजली कम समय के लिए आती है एवं विद्युत बिल की न्यूनतम भुगतान राशि अनावश्यक रूप से अधिक आती है।

(2) प्रबन्धन समितियों ने बतलाया कि कृषि विभाग द्वारा ग्रामवासियों को नई तकनीक की जानकारी नहीं दी जाती है।

(3) प्रबन्धन समिति ने बतलाया कि पारापीपली चैकडेम छोटे हैं।

(4) एक प्रबन्धन समिति ने बतलाया कि गाँव में असिंचित भूमि अधिक हैं। अतः लिफ्ट स्कीम और बनायी जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु विभाग को प्रयास करना चाहिए।

3.20.0 कार्य एवं अवलोकन अनुसूचीं :

3.20.1 समुदाय प्रबन्धित जल स्त्रोत विकास परियोजनान्तर्गत 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाएँ विकसित की गयी। इन सभी परियोजनाओं का अवलोकन किया जाकर कार्य हेतु स्वीकृत राशि, व्यय राशि कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्य की गुणवत्ता भौतिक स्थिति एवं कार्य के प्रभाव से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित की गयी। अवलोकन के आधार पर कार्य की गुणवत्ता अच्छी पायी गयी, समस्त कार्य स्थल सही पाये गये एवं रखरखाव की व्यवस्था से लाभार्थी सन्तुष्ट पाये गये। जलोत्थान हेतु करवाये गये कार्यो से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। फसल चक्र पर प्रभाव पड़ने से रबी, खरीफ एवं जायद फसलों को बोने का फायदा मिला। जिसमें स्थानीय निवासियों की आय में अभिवृद्धि हुई एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। स्थानीय निवासियों के पलायन की समस्या कम हुई। कार्य के दौरान शत प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कार्य करवाया गया। मजदूरी का भुगतान सभी को समय पर किया जाना बतलाया गया।

3.20.2 सद्गुरू के इंजीनियर एवं तकनीशियनों की दक्षता से चैकडेम बहुत ही उन्नत शैली की डिजाइन के बनाये गये है। सभी चैकडेम की भराव क्षमता अच्छी है और इनमें वर्ष पर्यन्त पर्याप्त पानी भरा रहता है। सभी चैकडेम में सरिया एन्करिंग एवं ग्राऊटिंग का कार्य किया जाना पाया गया। चैकडेम की गुणवत्ता बहुत मजबूत एवं अनेक दशकों तक इनके इसी तरह बने रहने की सम्भावना है। सभी चैकडेम में लम्बाई के हिसाब से गेट बने हुए एवं स्टील के गेट लगाये गये। गेट रबर सील के माध्यम से फिट किये गये जिनमें एक बूँद भी पानी रिसाव नहीं हो पाता है। इन गेट को मानसून से पूर्व खोलकर रख लिए जाते है और वर्षाकाल में पुनः लगा दिये जाते है। जिसमें डेम में मिट्टी का भराव नहीं हो पाता। कुछ स्थानों पर कृषक स्वयं गेट खोलने का कार्य कर लेते है। कतिपय स्थानों पर पारिश्रमिक देकर भी यह कार्य करवाया जाना पाया गया।

————

अध्याय – चतुर्थ

कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1.0 समुदाय प्रबन्धित जलोत्थान परियोजनाओं हेतु झालावाड़ जिले में 8 चैकडेम एवं 7 लिफ्ट सिंचाई से सम्बन्धित कुल 15 परियोजनाओं को निर्मित किया गया है। परियोजनान्तर्गत कार्य करने वाले प्रबन्धन समिति के सदस्य, परियोजना से लाभ ले रहे लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर सरकारी अधिकारी जो योजना की जानकारी रखते है उनके द्वारा योजना संचालन के सम्बन्ध में अनुभूत की जा रही समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गये है संकलित सूचनाओं द्वारा मुख्य–मुख्य कठिनाईयाँ एवं सुझावों को निम्न अनुच्छेदों में इस आशय से वर्णित किया जा रहा है कि इस योजना को भविष्य में और अधिक सफल एवं प्रभावी बनाया जा सके।

(1) **कार्य स्थल की दुर्गमता :**

परियोजनान्तर्गत निर्मित किये गये चैकडेम एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कार्य स्थल तक पहुँचने के लिए कोई सड़क/रास्ते नहीं थे। नदी/कन्दराओं के कारण वहाँ सामग्री वाहन द्वारा पहुँचाना भी सरल नहीं था इस क्षेत्र में सड़कों का पूर्णतया अभाव था इन कार्य स्थलों को देखकर आज भी आश्चर्य होता है कि वहाँ सामग्री कैसे पहुँचाई गई। सद्गुरू के लिए इन स्थानों की दुर्गमता एक चुनौती पूर्ण कार्य था। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इस समूची व्यवस्था का अनुकूलतम लाभ लेने कि लिए उत्पादन विपणन के लिए क्षेत्र में सड़क, यातायात के साधनों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र में सड़कों का आज भी अभाव है जिससे उत्पाद विपणन में कठिनाई होती है। कम दाम में स्थानीय व्यापारियों को माल बेचना पड़ता है। सम्भवत न केवल गाँवों तक अपितु डैम एवं लिफ्ट योजनाओं तक सड़क निर्माण करवाना अपेक्षित है तत्पश्चात् ही अपेक्षित लाभ की सम्भावना सुनिश्चित की जा सकती है। नरेगा योजना में भी यह कार्य करवाया जा सकता है। ये सारी योजनाएँ राजस्थान, मध्यप्रदेश की सीमा पर है अतः इससे दो राज्यों के बीच यातायात, सामाजिक सांस्कृतिक मेलझोल भी बढ़ेगा साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी नियन्त्रण पाने में यह व्यवस्था कारगर सिद्ध होगी क्योंकि अभी भी नदी की कराईयों में शराब की भट्टियाँ चलती रहती हैं। विभाग द्वारा राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत करवाना चाहिए एवं चैकडेम तक सड़कों को निर्मित करवाने का प्रयास करवाना चाहिए।

(2) **प्रतिस्पर्धात्मक मंड़ियों का अभाव :**

क्षेत्र में कोई उचित मूल्य देने वाली उपयुक्त अनाज मण्ड़ी नहीं है जहाँ किसान अपनी उपज का उपयुक्त मूल्य प्राप्त कर सके। कृषकों को कृषि उत्पाद एवं सह उत्पाद (दुग्ध, हरा चारा, मावा, फल, सब्जियाँ) आदि को बेचने के लिए बिचौलिए पर निर्भर रहने की विवशता है। क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ा है। आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होने से उसे बेचना पड़ता है स्थानीय व्यापारियों को बेचने से उचित मूल्य नहीं मिलता है। क्षेत्र में कोई सुव्यवस्थित मंड़ी नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि चौमहला में कृषि उपज मंड़ी समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कृषकों को उपज के उचित मूल्य के साथ क्षेत्र के लोगो को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। इस मंड़ी में मध्यप्रदेश की उपज भी आ सकती है जिससे वहाँ के लोग लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

(3) **विशेषज्ञ सुविधाओं का अभाव :**

सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता पूर्णतः सुनिश्चित हो गयी है परन्तु कृषि विशेषज्ञों की सेवाओं के अभाव में कृषक उपयुक्त आय प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि आज भी किसान कृषि विभाग द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जा चुके बीज एवं किस्मों का इस्तेमाल कर रहे है। सद्‌गुरू के अधिकारियों ने झालावाड़ के कृषि उप निदेशक से भी आग्रह किया लेकिन कृषि विशेषज्ञों के नहीं आने से कोई लाभ नहीं हुआ। यहीं हाल पशुपालन सिंचाई एवं राजस्व विभाग का है। यहाँ सरकारी अधिकारी/कर्मचारी गाँवों में नहीं आते है।

अतः सुझाव है कि कृषि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदान जल की पूर्णताः सुनिश्चित होने के बावजूद भी कृषक अपेक्षित मात्रा में कृषि उत्पादन नहीं ले पा रहे है कृषि विशेषज्ञों की सेवाएँ इन गाँवों में नहीं मिल पा रही हैं। गेहूँ का लोकल बीज ही काम में लिया जा रहा है। इन गाँव वालो को कृषि के उन्नत तरीकों, कृषि अनुसंधानों, उन्नत बीज एवं उन्नत प्रविधियों की जानकारी नहीं है। अतः विभाग द्वारा सरकारी स्तर पर इन गाँवों में कृषि, पशुपालन एवं बागवानी आदि के विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) **विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत विभाग का गैर जिम्मेदार रवैया :**

कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त होने से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने, सभी साधनों की उपलब्धता अनुकूल होने पर यदि विद्युत की पूर्ति अपर्याप्त रहती है तो सब व्यर्थ हो जाता है रबी और जायद रबी की पूर्ण फसलें लेना सम्भव नहीं हो पाता है। विद्युत विभाग द्वारा अत्यधिक राशि के बिल दे दिये जाने से जल प्रबन्धन समितियों एवं किसानों को अवांच्छित मानसिक तनाव तथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। विद्युत कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते है जिससे श्रम एवं शक्ति व्यय होती हैं।

इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता पूर्णतः सुनिश्चित हो गई है, उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जाये तो क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित है, लेकिन अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति से यह सारी सुनिश्चिततायें असफल सिद्ध हो रही है। अतः विद्युत कम्पनियों को न्यूनतम 12 घंटे की सुचारू विद्युत आपूर्ति पूर्णतः निश्चित करना चाहिए। किसानों को पूर्व विदित होना चाहिए कि बिजली का समय क्या होगा। विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत उपभोग का रीडिंग–बिल राशि सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही लाभार्थी तक पहुँचना चाहिए जिससे लाभार्थी को कार्यालय के अनावश्यक चक्कर न ही लगाने पड़े एवं लाभार्थी अवांछित उत्पीड़न से बच सके। इस सम्बन्ध में सहयोग एवं सेवा परक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए

(5) **रखरखाव हेतु बजट का अभाव :**

सद्गुरू के सहयोग से सरकारी राशि का बेहतर उपयोग करते हुए बहुत अच्छी चैकडेम एवं लिफ्ट योजनायें बना दी गई जो अच्छे तरीके से स्थानीय क्षेत्र के लोगों को लाभ दे रही है। प्रायः 8 वर्ष के पश्चात् भी ये जैसे की वैसी ही है, इनका कहीं कोई क्षय नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं के नवीनीकरण, रंगरोगन, सर्विस पाईप लाईन, मरम्मत आदि के लिए बजट की जरूरत होती है क्योंकि प्रतिवर्ष चैकडेम का रंगरोगन होना चाहिए। उत्तम दर्जे की विद्युत सेवा प्रदाता कम्पनी से मोटरों एवं अन्य विद्युत एसेसरीज का नियमित परीक्षण एवं सर्विसिंग होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् भारी बाढ़ से चैकडेम को किसी अप्रत्याशित हानि की सम्भावना से बचाने के लिए समुचित आकस्मिक फण्ड होना चाहिए जिसका पूर्णतया अभाव है। इस बारे में सरकारी सोच एवं चिंता का अहसास नहीं हुआ।

यद्यपि चैकडेम एवं लिफ्ट योजनाओं को निर्मित किये 8 वर्ष हो चुके है और इनकी मजबूती से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है फिर भी रंगरोगन, सामाजिक रखरखाव, किसी सम्भावित आकस्मिक हानि के लिए अपेक्षित बजट का प्रावधान जरूरी है। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा प्रबन्धन समितियों/सद्गुरू को बजट हस्तान्तरित करना चाहिए जिससे नियमित रखरखाव किया जा सके डैम के गेट पर रंगरोगन किया जा सके। डैम के गेट पर रंगरोगन नहीं होगा तो वे जंग से गल जायेगें। अतः करवाये गये कार्यो के रखरखाव हेतु आवश्यक बजट रखना चाहिए।

(6) **सामाजिक सेवा–सुविधाओं का अभाव :**

इस क्षेत्र में आज भी पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त हैं। अधिकांश लोग झोला छाप तथा कथित बंगाली चिकित्सकों से उपचार करवाते हैं। शालाओं में शिक्षक अपर्याप्त है यहाँ तक की शैक्षणिक सुविधाओं का पूर्णतया अभाव है। सरकारी देखरेख के अभाव में इनकी पर्याप्तता, उपयुक्तता एवं निरंतरता नहीं बन पाती है।

अतः इस सम्बन्ध में सुझाव है कि परियोजना क्षेत्र में पंचायती राज सुदृढ़ीकरण में ग्रामों में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सेवा प्रसार कार्यो पर समुचित ध्यान देकर संस्थाओं की स्थापना एवं स्टाफ उपलब्ध करवाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल प्रबन्धन समिति कार्यालय कक्ष बनवाया जाना, जल प्रबन्धन समिति के सदस्यों को उन्नत तरीकों की जानकारी के लिए कृषक भ्रमण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने चाहिए। इसके लिए बजट हस्तांतरित कर प्रबन्धन समितियों/सद्गुरू जैसी संस्था को नोडल एजेन्सी बना दिया जाना चाहिए।

4.2.0 निष्कर्ष :

4.2.1 सद्गुरू संस्था ने केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया है तथा योजना के निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने में तत्परता से काम किया है। इस संस्था ने लिफ्ट योजनाओं के डिजाइन प्रतिष्ठित सलाहकारों द्वारा तैयार करवाये है जिसमें भौगोलिक/स्थितियों के अनुरूप सर्विस पाईप लाईन बिछाना, मुख्य चैम्बर, वितरण चैम्बर का निर्माण करना, क्षेत्र के लिए सबसे उच्चतम भूमि बिन्दुओं का चयन करना जिससे जल दबाव गुरूत्वाकर्षण के अनुरूप किया गया। इस प्रकार प्रत्येक कार्यो का क्रियान्वयन से पूर्व वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीके से संयोजित किया गया। सद्गुरू के अधिकारियों ने लाभार्थियों के खेतों में धोरे आदि बनाने में पर्याप्त मार्गदर्शक किया। इस प्रकार इस व्यवस्था से पानी का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग सम्भव होना पाया गया। सद्गुरू की तकनीकी उच्च कार्यक्षमता वाली टीम

द्वारा पारदर्शी कार्य प्रणाली एवं उपयुक्त तरीके अपनाये गये एवं सामग्री में उच्च गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा गया। परियोजना से पूर्व सिंचाई के साधन नहीं के बराबर थे परियोजना आरम्भ होने के पश्चात् ग्रामवासियों द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई। जिससे कृषि भूमि संसाधन के रूप में परिवर्तित हुयी है, कृषक जमीन को किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहते। सहायक उद्योग धन्धों का विकास हुआ। भुखमरी एवं पलायन से मुक्ति प्राप्त हुई। निर्धन परिवारों की संख्या में कमी हुई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि ने पीढ़ियों तक के लिए जीवन निर्वाह के साधन बना दिये गये। सद्गुरू संस्था ने प्रोजेक्ट के उत्तरोत्तर परिणाम आते रहने के लिए कृषकों की प्रोजेक्टवार प्रबन्धन समितियाँ बनायी है। इन समितियों द्वारा जल वितरण सुनिश्चित करना, कृषकों से विद्युत उपयोग राशि एकत्र करना व जमा करना, लेखा संधारण तथा बैंक से लेन–देन आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इस प्रकार अवलोकित तथ्यों के आधार पर परियोजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। जो परियोजना की सफलता का द्योतक है एवं भविष्य में इस प्रकार की परियोजना संचालित करने की प्रेरणा देती है। SGSY के तहत राज्य के अन्य जिलों में भी लघु सिंचाई/चैकडेम जैसे कार्य इस संस्था से करवाया जाना उचित होगा।

———

चैकडेम की प्रगति

परिशिष्ट–''अ''

क्र. सं.	गाँव का नाम	स्वीकृत दिनांक	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्य पूर्ण होने का दिनांक			लाभ प्रारम्भ होने का वर्ष व फसल (रबी)	सृजित मानव दिवस (संख्या में)
				लक्ष्य दिनांक	वास्तविक दिनांक	लक्ष्य के आधार पर कार्य पूर्ण होने में समय अन्तराल		
1.	उन्हैल	03.05.01	06.12.01	जुलाई, 2002	जून, 2002	1 माह पूर्व	2002	22857
2.	करमाखेड़ी	03.05.01	05.12.01	जून, 2002	जून, 2002	निर्धारित माह में	2002	20405
3.	निशालखेड़ी	03.05.01	04.12.01	जून, 2002	जून, 2002	निर्धारित माह में	2002	24151
4.	पड़ासली	03.05.01	07.12.01	जून, 2002	जून, 2002	निर्धारित माह में	2002	24008
5.	सीघंला	03.05.01	07.12.01	जुलाई, 2002	जून, 2002	1 माह पूर्व	2002	21727
6.	बोरखेड़ी	03.05.01	19.04.03	सितम्बर, 2003	जनवरी, 2004	4 माह बाद	2004	15610
7.	पारापीपली–I	03.05.01	22.01.02	अप्रेल, 2002	अप्रेल, 2003	1 वर्ष बाद	2003	2588
8.	पारापीपली–II	03.05.01	22.01.02	अप्रेल, 2002	अप्रेल, 2003	1 वर्ष बाद	2003	2483
	योग							**133829 (85.35%)**

लिफ्ट ईरिगेशन की प्रगति

क्र. सं.	गाँव का नाम	स्वीकृत दिनांक	कार्य प्रारम्भ दिनांक	कार्य पूर्ण होने का दिनांक			लाभ प्रारम्भ होने का वर्ष व फसल (रबी)	सृजित मानव दिवस (संख्या में)
				लक्ष्य दिनांक	वास्तविक दिनांक	लक्ष्य के आधार पर कार्य पूर्ण होने में समय अन्तराल		
1.	उन्हैल–I	03.05.01	29.04.02	सितम्बर, 2002	अक्टुबर, 2002	1 माह बाद	2002	2566
2.	पड़ासली–I	03.05.01	19.12.01	मार्च, 2002	मार्च, 2002	निर्धारित माह में	2002	3812
3.	देव भादला	03.05.01	19.12.01	मार्च, 2002	मार्च, 2002	निर्धारित माह में	2002	3118
4.	भारका	03.05.01	29.04.02	अगस्त, 2002	अक्टुबर, 2002	2 माह बाद	2002	2208
5.	खेजड़िया	03.05.01	19.12.01	मार्च, 2002	मार्च,, 2002	निर्धारित माह में	2002	4075
6.	माकोड़िया	03.05.01	19.12.01	मार्च, 2002	मार्च, 2002	निर्धारित माह में	2002	3452
7.	अरनियाँ	03.05.01	29.04.02	अगस्त, 2002	अक्टुबर, 2002	2 माह बाद	2002	3741
	योग							**22972 (14.65%)**

चैकडेम की वित्तीय प्रगति

परिशिष्ट–''ब''

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	प्रस्तावित		आवंटित/स्वीकृत		हस्तांतरित/प्राप्त		व्यय		उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
1.	उन्हैल	29.2.2000	80.59	03.05.01	80.59	03.05.01	80.59	13.06.02	71.52	19.01.07	53.64
2.	करमाखेड़ी	29.2.2000	58.29	03.05.01	58.29	03.05.01	58.29	08.06.02	59.75	19.01.07	44.81
3.	निशालखेड़ी	29.2.2000	67.98	03.05.01	67.98	03.05.01	67.98	20.06.02	72.03	19.01.07	54.02
4.	पड़ासली	29.2.2000	94.68	03.05.01	94.68	03.05.01	94.68	24.06.02	89.07	19.01.07	66.80
5.	सीघंला	29.2.2000	55.79	03.05.01	55.79	03.05.01	55.79	22.06.02	67.47	19.01.07	50.60
6.	बोरखेड़ी	29.2.2000	79.94	03.05.01	79.94	03.05.01	79.94	30.01.04	67.92	19.01.07	50.94
7.	पारापीपली–I	29.2.2000	13.08	03.05.01	13.08	03.05.01	13.08	07.04.03	12.30	19.01.07	8.04
8.	पारापीपली–II	29.2.2000	15.64	03.05.01	15.64	03.05.01	15.64	07.04.03	12.30	19.01.07	9.68
	योग		**465.99**		**465.99**		**465.99**		**452.36**		**338.53**

लिफ्ट ईरिगेशन की वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	गाँव का नाम	प्रस्तावित		आवंटित/स्वीकृत		हस्तांतरित/प्राप्त		व्यय		उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
1.	उन्हैल–I	29.2.2000	20.44	03.05.01	20.44	03.05.01	20.44	07.10.02	21.20	19.01.07	15.90
2.	पड़ासली–I	29.2.2000	19.39	03.05.01	19.39	03.05.01	19.39	31.03.02	16.83	19.01.07	12.62
3.	देवबादला	29.2.2000	24.66	03.05.01	24.66	03.05.01	24.66	31.03.02	22.04	19.01.07	16.53
4.	भारका	29.2.2000	22.23	03.05.01	22.23	03.05.01	22.23	07.10.02	21.46	19.01.07	16.09
5.	खेजड़िया	29.2.2000	23.09	03.05.01	23.09	03.05.01	23.09	31.03.02	19.63	19.01.07	14.72
6.	माकोड़िया	29.2.2000	20.39	03.05.01	20.39	03.05.01	20.39	31.03.02	17.79	19.01.07	13.34
7.	अरनिया	29.2.2000	30.59	03.05.01	30.59	03.05.01	30.59	07.10.02	30.86	19.01.07	23.15
	योग		**160.79**		**160.79**		**160.79**		**149.81**		**112.35**
	कुल योग (चैकडेम+ लिफ्ट ईरिगेशन)		**626.78**		**626.78**		**626.78**		**602.17**		**450.88**